



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/287

विवि.एसटीआर.आरईसी.206/21.04.048/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025

विषयवस्तु

अध्याय I – प्रारंभिक	44
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	44
बी. प्रयोज्यता	4
सी. परिभाषाएँ	54
अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ	1110
ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ	10
बी. दबाव की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग	1411
सी. प्रकटीकरण	162
अध्याय III- पुनर्चना के लिए प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड	1613
ए. खातों की पुनर्चना: सामान्य अनुदेश	1 Error! Bookmark not defined.
बी. पुनर्चना के उपरांत आस्ति वर्गीकरण	1814
सी. आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक निष्पादन	15
डी. अतिरिक्त वित्त	17
ई. संतोषजनक प्रदर्शन के बाद आस्ति वर्गीकरण उन्नयन	2017
एफ. पुनर्चना के उपरांत प्रावधानीकरण	18
जी. आय पहचान	Error! Bookmark not defined.20
अध्याय IV- पुनर्चना के विशेष मामले	2522



ए . जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक की है	2522
बी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना	2622
सी. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान	Error! Bookmark not defined. 26
डी. कार्यान्वयन के तहत परियोजना32	26
ई. दीर्घकालिक ऋण संस्थानों द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों के अंतर्गत स्वीकृत अग्रिम	33
अध्याय V - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)	4435
ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन :	4435
अध्याय VI- विशेष उपाय	4838
ए. व्यापार राहत उपाय	4838
अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान	4939
ए. निरसन और बचाव	4939
बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित 50	39
सी. व्याख्याएं	5040
अनुबंध I	41
अनुबंध II	58



प्रस्तावना

ये निदेश दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। चूंकि समझौता समझौते एक वैध समाधान योजना है, इसलिए ये निदेश प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को गति प्रदान करने के लिए समझौता समझौतों और तकनीकी बट्टे-खाते डालना पर निर्देशों को तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण भी बनाते हैं। इसके अलावा, इन निर्देशों में बुनियादी ढांचे और गैर-बुनियादी ढांचे (वाणिज्यिक अचल संपत्ति और वाणिज्यिक अचल संपत्ति-आवासीय आवास सहित) में परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तारीख में परिवर्तन पर समेकित नियामक उपचार निर्धारित किया गया है।

कुछ शहरी सहकारी बैंक (बैंक) राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न प्रकार की ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के कार्यान्वयन में भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय समर्थन के बदले उधारकर्ताओं के लक्षित वर्ग के ऋण दायित्वों का त्याग / छूट शामिल है। यदि ऐसी योजनाओं की घोषणा बार-बार, असंगत रूप से, या वित्तीय अनुशासन के सिद्धांतों पर उचित विचार किए बिना की जाती है, तो इससे ऋण अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लंबे समय में, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह के लिए प्रति-उत्पादक हो सकता है। क्रेडिट अनुशासन और नैतिक खतरे के मुद्दों के व्यापक निहितार्थों के अलावा, डीआरएस कुछ विवेकपूर्ण चिंताओं को भी बढ़ाता है, जिसमें बकाया राशि की प्राप्ति में देरी; शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दावों और संबंधित सरकार द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल; शहरी सहकारी बैंक द्वारा नए ऋण की अनिवार्य आवश्यकता आदि शामिल हैं। ये निदेश डीआरएस में शहरी सहकारी बैंक की भागीदारी के संबंध में कुछ व्यापक सिद्धांतों को भी निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों के साथ



उनके विचार हेतु साझा किया गया है ताकि ऐसे डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय सरकार, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं आदि सहित इसमें शामिल हितधारकों की अपेक्षाओं में किसी भी प्रकार का असंतुलन न रहे।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इन निर्देशों को जारी करता है जो इसके बाद निर्दिष्ट हैं।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश शहरी सहकारी बैंक (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे अर्थात् भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएएफआईडी)।



सी. परिभाषाएं

4. इन निर्देशों में, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो:

(1) 'एग्रीगेट एक्सपोजर' में निवेश एक्सपोजर सहित सभी निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर शामिल होंगे;

(2) 'समझौता निपटान' का अर्थ उधारकर्ता के विरुद्ध बैंक के दावों को पूरी तरह से नकद में निपटाने के लिए उधारकर्ता के साथ की गई व्यवस्था को संदर्भित करेगा।

स्पष्टीकरण: समझौता निपटान में उधारकर्ता के हिस्से पर बैंक से देय राशि का कुछ त्याग शामिल हो सकता है, जिससे उधारकर्ता के खिलाफ बैंक के दावों की उसी सीमा तक छूट हो सकती है।

(3) *कार्यान्वित परियोजना* के संदर्भ में 'क्रेडिट घटना' निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर शुरू की गई मानी जाएगी:

- (i) किसी भी ऋणदाता के साथ चूक;
- (ii) एक या अधिक ऋणदाता किसी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) की मूल / विस्तारित प्रारंभ तिथि के विस्तार की आवश्यकता का निर्धारण करते हैं, जैसा भी मामला हो;
- (iii) मूल / विस्तारित डीसीसीओ की समाप्ति, जैसा भी मामला हो;
- (iv) एक या अधिक ऋणदाता अतिरिक्त ऋण के लिए आवश्यकता निर्धारित करते हैं;



- (v) परियोजना को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो पैरा 7 से 9 के अनुसार निर्धारित किया गया है;
- (4) 'चूक' का अर्थ होगा ऋण का भुगतान न करना (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिभाषित) जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गई है और देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।
- (5) 'निर्माण के दौरान ब्याज' का अर्थ बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर अर्जित ब्याज और परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पूंजीकृत ब्याज होगा;
- (6) परियोजना वित्त के संदर्भ में 'ऋणदाता' का अर्थ निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई भी होगा:
- (i) शहरी सहकारी बैंक (लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को छोड़कर भुगतान बैंक (पीबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित);
 - (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), (एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) सहित)
 - (iii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक;
 - (iv) शहरी सहकारी बैंक।



- (7) 'परिसमापन मूल्य' का अर्थ प्रासंगिक उधारकर्ता की संपत्तियों का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य होगा, यदि ऐसे उधारकर्ता को समीक्षा अवधि की शुरुआत की तारीख को परिसमाप्त किया जाना था;
- (8) निगरानी अवधि का अर्थ समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से उस तारीख तक की अवधि होगी, जब तक कि समाधान योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 10 प्रतिशत और पुनर्चना के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, चुकाया जाता है;
- (9) 'बकाया मूलधन ऋण' में सभी क्रेडिट सुविधाएं शामिल होंगी, जिसमें ऋण / ऋण जैसे उपकरण (अर्थात्, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर, गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर आदि) शामिल हैं जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद मौजूद हैं।
- स्पष्टीकरण: केवल इक्विटी और इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय उपकरण (बिना किसी वैकल्पिक विकल्प के) को बकाया मूल ऋण निर्धारित करने से छूट दी जाएगी।
- (10) अवशिष्ट ऋण का अर्थ होगा प्रस्तावित समाधान योजना के अनुसार सभी निर्दिष्ट उधारदाताओं द्वारा रखे जाने वाले सभी बकाया मूल ऋण;
- (11) कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के संदर्भ में 'समाधान योजना' का अर्थ है परियोजना वित्त खाते में तनाव के समाधान के लिए पारस्परिक रूप से सहमत, कानूनी रूप से बाध्यकारी, व्यवहार्य और समयबद्ध योजना। समाधान योजना में कोई भी कार्रवाई /



योजना / पुनर्रचना शामिल हो सकता है, जिसमें देनदार इकाई द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान द्वारा खाते का नियमितीकरण, अन्य संस्थाओं / निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री, स्वामित्व में परिवर्तन, डीसीसीओ का विस्तार और पुनर्रचना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

- (12) पुनर्रचना का अर्थ एक ऐसा कार्य होगा जिसमें बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से, उधारकर्ता को रियायतें प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण: पुनर्रचना में आम तौर पर अग्रिम / प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होगा, जिसमें आम तौर पर अन्य बातों के अलावा, भुगतान अवधि / देय राशि / किश्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होगा; क्रेडिट सुविधाओं का रोल ओवर; अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा की मंजूरी / चूक के इलाज में सहायता के लिए चूक में खाते के लिए अतिरिक्त धन जारी करना / मौजूदा क्रेडिट सीमा में वृद्धि; समझौता निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान का समय तीन महीने से अधिक है।

- (13) 'समीक्षा अवधि' का अर्थ चूक या क्रेडिट घटना की तारीख से 30 दिनों की अवधि होगी, जैसा भी मामला हो;
- (14) 'संतोषजनक प्रदर्शन' का अर्थ होगा कि उधारकर्ता इकाई संबंधित अवधि के दौरान किसी भी निर्दिष्ट ऋणदाता के साथ चूक नहीं है;
- (15) 'निर्दिष्ट ऋणदाता' का अर्थ निम्नलिखित संस्थाओं में से कोई भी होगा:



- (i) वाणिज्यिक बैंक (एसएफबी सहित लेकिन पीबी, एलएबी और आरआरबी को छोड़कर);
 - (ii) शहरी सहकारी बैंक।
 - (iii) जमा लेने वाली एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर);
 - (iv) गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) जिसकी आस्ति का आकार ₹500 करोड़ और उससे अधिक है।
- (16) *निर्दिष्ट अवधि का अर्थ* है समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि जब समाधान योजना के अनुसार बकाया मूल ऋण की राशि का कम से कम 20 प्रतिशत और **पुनर्रचना** के हिस्से के रूप में स्वीकृत ब्याज पूंजीकरण, यदि कोई हो, चुकाया जाता है।
- बशर्ते कि आईबीसी* के तहत पुनर्गठित खातों के लिए, निर्दिष्ट अवधि को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन की तारीख से शुरू माना जाएगा।
- (17) '*स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा*' का अर्थ है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान किसी भी लागत के अतिप्रवाह को निधि देने के लिए वित्तीय समापन के समय परियोजना के लिए स्वीकृत एक आकस्मिक क्रेडिट लाइन।



- (18) *तकनीकी बट्टे-खाते डालना* 'उन मामलों को संदर्भित करेगा जहां गैर-निष्पादित *आस्तियां* उधारकर्ताओं के ऋण खाता स्तर पर बकाया रहती हैं, लेकिन किसी भी ऋण के खिलाफ दावों की छूट के बिना, और उसी की वसूली के लिए पूर्वाग्रह के बिना, केवल लेखा उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा *बट्टे-खाते डालना* (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) की जाती है।
5. 'नियुक्त तिथि', '*वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई)*', '*वाणिज्यिक अचल संपत्ति - आवास (सीआरई-आरएच)*', '*निर्माण चरण*', '*वित्तीय समापन की तारीख*', '*बुनियादी ढांचा क्षेत्र*', '*वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की मूल तिथि (मूल डीसीसीओ)*', '*विस्तारित डीसीसीओ*', '*वास्तविक डीसीसीओ*', '*परियोजना*', और '*परियोजना वित्त*' का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक- ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है।
6. अन्य सभी अभिव्यक्तियाँ, जब तक कि यहाँ परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ रखती हैं जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दों की शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग किए जाने वाले, जैसा भी मामला हो, के तहत सौंपा गया है।



अध्याय II - सामान्य आवश्यकताएँ

ए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां:

7. बैंक, वित्तीय कठिनाई के निर्धारण के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक पैरामीटरों के साथ-साथ वित्तीय कठिनाई के विभिन्न संकेतों पर विस्तृत नीतियों के साथ-साथ समाधान के लिए समय-सीमा सहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगा।
8. वित्तीय कठिनाई के संकेतों की गैर-विस्तृत सांकेतिक सूची, जो 'गैर-निष्पादित एक्सपोजरों और रियायत की परिभाषाओं पर समस्यामूलक आस्तियों के विवेकपूर्ण निष्पादन' पर बासल समिति के दिशानिर्देशों पर आधारित है, को संदर्भ के लिए निम्नानुसार प्रदान की गई है:
 - (1) फ्रेमवर्क में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार, चूक (चूक) को वित्तीय कठिनाई के लिए एक संकेतक के रूप में माना जाएगा, यद्यपि चूक के कारण कुछ भी हों।
 - (2) उधारकर्ता की चूक नहीं है, लेकिन यह संभव है कि उधारकर्ता निकट भविष्य में रियायत के बिना अपने किसी भी एक्सपोजर में चूक कर सकता है, उदाहरण के लिए, जब इसके एक्सपोजर पर भुगतान में अपराध का एक पैटर्न रहा है।
 - (3) ऋणकर्ता की बकाया प्रतिभूतियों को सूची से हटाया गया है या सूची से हटाने की प्रक्रिया में है, या सूची की शर्तों का पालन न करने या वित्तीय कारणों से किसी एक्सचेंज से सूची से बाहर होने का खतरा है।



- (4) वास्तविक प्रदर्शन, अनुमानों और प्रोजेक्षण के आधार पर जो उधारकर्ता के परिचालनों के वर्तमान स्तर को सम्मिलित करते हैं, उधारकर्ता के नकदी प्रवाह का आकलन अनुबंधित शर्तों के अनुसार अपने सभी ऋण या ऋण प्रतिभूतियों (ब्याज और मूलधन दोनों) के क्रियान्वयन के लिए अपर्याप्त है।
 - (5) उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधाएं गैर-निष्पादित स्थिति में हैं या रियायतों के बिना गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।
 - (6) उधारकर्ता के मौजूदा एक्सपोजर को उन एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो उधारकर्ता की बैंक की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली के अनुसार पुनर्भुगतान करने की क्षमता में पहले से ही कठिनाई का प्रमाण दे चुके हैं।
9. बैंक, वित्तीय कठिनाई संकेतकों की उपरोक्त अपरिपूर्ण गणना के पूरक के रूप में प्रमुख वित्तीय अनुपातों और परिचालन मानदंडों के साथ-साथ मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को भी शामिल करेगा।
- स्पष्टीकरण:* एक्सपोजर पर बकाया राशि के अभाव में भी वित्तीय कठिनाई की पहचान की जा सकती है।
10. बैंक, उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान करने के साथ-साथ तकनीकी बट्टे-खाते के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न लिखित शामिल होंगे:



- (1) सभी समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक निर्धारण, अपेक्षित शर्तों के विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ जैसे न्यूनतम परिपक्व, संपार्श्विक मूल्य में गिरावट आदि;
- (2) बोर्ड द्वारा तय की जानेवाली उचित सीमा और समय-सीमा के साथ ऐसे मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए श्रेणीबद्ध ढांचा;
- (3) उपलब्धता के अनुसार, प्रतिभूति / संपार्श्विक के वर्तमान वसूली योग्य मूल्य की विवेकपूर्ण गणना के बाद निपटान राशि पर पहुंचने के दौरान विभिन्न श्रेणियों के एक्सपोजर के लिए अनुमेय घाटा से संबंधित प्रावधान;
- (4) समझौता निपटान के संबंध में प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य पर पहुंचने के लिए कार्यप्रणाली।
- (5) निम्नलिखित के अधीन समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते के अनुमोदन / मंजूरी के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन:
 - (i) इस तरह की मंजूरी के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन एक प्राधिकरण (व्यक्ति या समिति, जैसा भी मामला हो) के पास होता है जो क्रेडिट / निवेश एक्सपोजर को मंजूरी देने के लिए शक्ति निहित प्राधिकरण की तुलना में पदानुक्रम में कम से कम एक स्तर ऊंचा होता है।



बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो ऋण स्वीकृत करने का हिस्सा था (व्यक्तिगत या समिति के हिस्से के रूप में) किसी भी क्षमता में उसी ऋण खाते के समझौता निपटान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का हिस्सा नहीं होगा।

(ii) धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में समझौते के प्रस्तावों के लिए, जैसा कि पैरा 83 से 98 के संदर्भ में अनुमत है, सभी मामलों में बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी।

11. बैंक, पैरा 42 और 43 के संदर्भ में आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त व्युत्पन्न अनुबंधों के क्रिस्टलीकृत बाजार भाव पर दर्शानेवाले (मार्क टू मार्केट) (एमटीएम) मूल्य को किस्त में भुगतान की अनुमति देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा।
12. बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई नीति की सुदृढ़ता और परिणामों की जांच रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी निगरानी के हिस्से के रूप में की जाएगी।

बी. दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग

13. बैंक, ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की चूक की शीघ्र पहचान ऐसी आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लेखनीय खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके करेगा:

एसएमए उप-श्रेणी	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय
एसएमए-0	30 दिन तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक



एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
---------	---------------------------------

14. उधारकर्ता के खातों के एसएमए श्रेणियों में वर्गीकरण के निदेश विनियमित संस्थाओं के एक्सपोजर आकार पर विचार किए बिना फसल मौसम-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों के अलावा सभी ऋणों (खुदरा ऋणों सहित) के लिए लागू हैं।
15. बैंक, ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं की, मासिक आधार पर, खाते के एसएमए के रूप में वर्गीकरण सहित क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को करेगा।
16. बैंक, प्रत्येक शुक्रवार को कारोबार के समापन पर या पिछले कार्य दिवस पर यदि शुक्रवार को छुट्टी होती है तो सभी उधारकर्ताओं (₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल एक्सपोजर के साथ) द्वारा चूक के उदाहरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
17. बैंक को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियम, 2017 की सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा और संहिता और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करेगा।



सी. प्रकटीकरण

18. बैंक अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखा के नोट्स' में उपयुक्त प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि [भारतीय रिजर्व बैंक \(शहरी सहकारी बैंक- वित्तीय विवरण: प्रस्तुतियां और प्रकटीकरण\) निदेश, 2025](#) में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय III – पुनर्चना के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंड

ए. खातों की पुनर्चना : सामान्य अनुदेश

15. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि खातों की व्यवहार्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन हो, खातों में कमियों का शीघ्र पता चले और पुनर्चना के माध्यम से इकाइयों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुनर्चना पैकेजों का समय-सीमा के भीतर कार्यान्वयन हो।
16. बैंक 'मानक', 'अव-मानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत खातों की पुनर्चना कर सकता है।
17. बैंक उधारकर्ता के खातों को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनर्निर्धारित / पुनर्चना / पुनर्संवादित नहीं करेगा।
18. सामान्य तौर पर, पुनर्चना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मूल ऋण समझौते में परिवर्तन / बदलाव उधारकर्ता की औपचारिक सहमति / आवेदन के साथ न किए गए हों।
19. उपर्युक्त पैरा 18 के होते हुए भी, योग्य मामलों में एक बैंक द्वारा पुनर्चना की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है, बशर्ते ग्राहक नियमों और शर्तों पर सहमत हो।
20. अग्रिमों की पुनर्चना निम्नलिखित चरणों में हो सकता है:
- ए. वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन शुरू होने से पहले;



बी. वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन शुरू होने के बाद, लेकिन आस्ति के 'अव-मानक' के रूप में वर्गीकृत होने से पहले;

सी. वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन शुरू होने के बाद और आस्ति के 'अव-मानक' या 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत होने के बाद।

21. बैंक पुनर्चना के लिए किसी खाते को तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसकी वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए और पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से पुनर्भुगतान की उचित निश्चितता न हो।
22. उपर्युक्त पैरा 21 के प्रयोजन के लिए, व्यवहार्यता का निर्धारण यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक) द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें प्रत्येक मामले की खूबियों के आधार पर, अलग-अलग मामलों पर लागू किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण: उदाहरण के तौर पर, व्यवहार्यता मापदंडों में 'नियोजित पूंजी पर प्रतिफल', 'ऋण सेवा कवरेज अनुपात', 'आंतरिक प्रतिफल दर' और 'निधियों की लागत' के बीच का अंतर, और पुनर्चना अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की राशि शामिल हो सकती है।
23. जब तक पुनर्चना प्रस्ताव विचाराधीन है, तब तक सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होते रहेंगे; और किसी आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि पुनर्चना प्रस्ताव विचाराधीन है।
24. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्चना पैकेज की मंजूरी की तारीख को जो आस्ति वर्गीकरण स्थिति होगी, वही पुनर्चना / पुनर्निर्धारण / पुनर्संवाद के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक मानी जाएगी।
25. यदि पुनर्चना पैकेज की मंजूरी में कोई अनुचित विलंब होता है, और इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति बिगड़ जाती है, तो यह पर्यवेक्षी चिंता का विषय होगा।
26. जिन खातों को व्यवहार्य नहीं माना जाएगा, उनकी पुनर्चना नहीं की जाएगी; इसके बदले, बैंक ऐसे खातों के संबंध में वसूली के उपायों में तेज़ी लाएगा।
27. उधारकर्ता के नकदी प्रवाह की जाँच किए बिना, और बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं / गतिविधियों की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना किया गया कोई भी पुनर्गठन, एक कमज़ोर ऋण सुविधा को 'एवरग्रीनिंग' करने के प्रयास के रूप में माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप पर्यवेक्षी चिंताएँ / कार्रवाई हो सकती है।



बी. पुनर्रचना के बाद आस्ति का वर्गीकरण

28. 'मानक' रूप में वर्गीकृत खाते को तत्काल गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में डाउनग्रेड किया जाएगा, अर्थात् बैंक द्वारा पुनर्रचना के बाद प्रारम्भ करने के लिए 'अव-मानक'।
29. गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत खाते को बैंक द्वारा पुनर्रचना के बाद, पुनर्रचना से पहले समान आस्ति वर्गीकरण बनाए रखना होगा।
30. यदि पुनर्रचित आस्ति, जो पुनर्रचना के समय एक मानक आस्ति है, को बाद में पुनर्रचना के अधीन किया जाता है, तो उसे अव-मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
31. यदि पुनर्रचित आस्ति एक अव-मानक या संदिग्ध आस्ति है और इसे बाद के अवसर पर पुनर्रचना के अधीन किया जाता है, तो इसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जब यह पहली बार गैर-निष्पादित आस्ति बन गई थी।
32. तथापि, दूसरी या अधिक बार पुनर्रचित ऐसी प्रगति को संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, वर्तमान पुनर्रचना पैकेज के संदर्भ में निर्दिष्ट अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नत करने की अनुमति दी जाएगी।
33. बैंक 'निधिक ब्याज मियादी ऋण' (एफआईटीएल) को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में बकाया ब्याज के रूपांतरण द्वारा बनाया जाएगा जिसमें पुनर्रचित अग्रिम को वर्गीकृत किया गया है। एफआईटीएल के आस्ति वर्गीकरण में आगे की गतिविधि भी पुनर्रचित अग्रिम के बाद के आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित की जाएगी।



सी. आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक निष्पादन

34. बैंक महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न उधारकर्ताओं के संबंध में विशेष विनियामक निष्पादन के लिए पात्र होगा, जो पैरा 37 और 38 में उल्लिखित कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

बशर्ते कि इस प्रकार के विशेष विनियामक निष्पादन को निम्नलिखित श्रेणियों के अग्रिमों तक विस्तारित नहीं किया जाएगा:

(1) शेयरों / बांडों / डिबेंचरों आदि की प्रतिभूतियों पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम सहित उपभोक्ता और व्यक्तिगत अग्रिम।

(2) व्यापारियों को अग्रिम

बशर्ते यह भी कि बैंक द्वारा दिए गए आवास ऋणों को पुनर्चना करने पर विशेष विनियामक निष्पादन के लिए भी पात्र माना जाएगा।

35. उपरोक्त दो श्रेणियों के खातों का आस्ति वर्गीकरण और साथ ही अन्य खातों का जो पैरा 37 और 38 में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करते हैं, इस संबंध में पैरा 28 से 33 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों द्वारा शासित होंगे।

36. विशेष विनियामक निष्पादन में निम्नलिखित दो घटक हैं:

(1) पुनर्चना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन।

(2) पुनर्चना से पहले की आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में पुनर्चित खाते के आस्ति वर्गीकरण को बनाए रखना

37. पुनर्चना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में, यदि बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अनुमोदित पैकेज को लागू किया जाता है, तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति को उस स्थिति में बहाल किया जा सकता है जो बैंक द्वारा पुनर्चना आवेदन प्राप्त होने पर मौजूद थी।

38. पुनर्चना पर मौजूदा मानक संपत्ति, अव-मानक श्रेणी में अवनत नहीं होगी और पुनर्चना करने पर अव-मानक / संदिग्ध खातों का आस्ति वर्गीकरण, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन अपकर्ष नहीं होगा:



(1) बैंक के देय राशि 'पूरी तरह सुरक्षित' है

बशर्ते कि उपरोक्त अपेक्षा निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:

(i) लघु उद्योग (एसएसआई) उधारकर्ता, जहां बकाया ₹25 लाख तक है।

(ii) अवसंरचना परियोजनाएं, बशर्ते कि इन परियोजनाओं से उत्पन्न नकदी प्रवाह अग्रिम के पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त हो, वित्तपोषण यूसीबी के पास नकदी प्रवाह को एस्करो करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र है और साथ ही इन नकदी प्रवाह पर एक स्पष्ट और कानूनी पहला दावा भी हो।

(iii) आहरण शक्ति पर मूल बकाया के अनियमित हिस्से के रूपांतरण द्वारा बनाए गए कार्यशील पूंजी सावधि ऋण, इस शर्त के अधीन कि पैरा 45 के अनुसार असुरक्षित हिस्से पर प्रावधान किए जाते हैं।

(2) यदि यह अवसंरचना गतिविधियों में संलग्न है तो इकाई दस वर्षों में व्यवहार्य हो जाती है, और अन्य इकाइयों के मामले में सात वर्षों में।

(3) पुनर्चित अग्रिम की चुकौती अवधि, अधिस्थगन सहित, अवसंरचना अग्रिम के मामले में पंद्रह वर्ष से अधिक नहीं है और अन्य अग्रिमों के मामले में दस वर्ष से अधिक नहीं है।

(4) बैंक के निदेशक मंडल पुनर्चित अग्रिमों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए पंद्रह वर्ष से अधिक अवधि निर्धारित नहीं करेगा।

(5) प्रमोटरों का परित्याग और उनके द्वारा लाई गई अतिरिक्त धनराशि बैंक के परित्याग का न्यूनतम 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

(6) जब इकाई, अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित बाहरी कारकों से प्रभावित होती है तो प्रमोटर द्वारा व्यक्तिगत गारंटी का प्रस्ताव किया जाता है।

(7) विचाराधीन पुनर्चना एक दोहराई गई पुनर्चना नहीं है।

डी. अतिरिक्त वित्त

39. बैंक द्वारा स्वीकृत कोई भी अतिरिक्त वित्त को 'मानक आस्ति' माना जा सकता है, जो प्रथम ब्याज / मूलधन भुगतान के बाद एक वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित पुनर्चना पैकेज के तहत देय है।



40. यदि पुनर्चित आस्ति पैरा 39 में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में उन्नयन के लिए योग्य नहीं है, तो बैंक अतिरिक्त वित्त को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखेगा जैसे पुनर्चित ऋण को रखा जाता है।

ई. संतोषजनक प्रदर्शन के बाद आस्ति वर्गीकरण का उन्नयन

41. एक पुनर्चित खाता, जिसे बैंक द्वारा पुनर्चना के बाद 'अनर्जक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 'निर्धारित अवधि' के दौरान 'संतोषजनक प्रदर्शन' पाया जाने के बाद 'मानक' श्रेणी में उन्नत किए जाने के लिए पात्र होगा।

42. यदि निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन का प्रमाण नहीं मिलता है, तो पुनर्चित खाते का आस्ति वर्गीकरण—जिसमें पैरा 34 से 38 के अनुसार विशेष विनियामक निष्पादन के लिए पात्र खाता भी शामिल है, पुनर्चना-पूर्व भुगतान अनुसूची के संदर्भ में लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नियंत्रित होगा।

एफ. पुनर्चना के बाद प्रावधान

43. पुनर्चित किए गए खाते को [भारतीय रिजर्व बैंक \(शहरी सहकारी बैंक- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण\) निदेश, 2025](#) में निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणी के अनुसार प्रावधान लागू होंगे।

44. बैंक पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेगा:

(1) अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्चना से पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में की जाएगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रावधान वित्तीय रियायतों की प्रकृति में पुनर्चना पर ऋण की संविदात्मक शर्तों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बैंक की कार्रवाई के कारण उत्पन्न होते हैं। ये प्रावधान उन प्रावधानों से अलग हैं जो गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हैं और ऋण की क्रेडिट गुणवत्ता में गिरावट के कारण हानि को दर्शाते हैं। इस प्रकार, प्रावधानों के दो प्रकार एक दूसरे के प्रतिस्थापन नहीं हैं।



(2) पुनर्चना से पहले ऋण का उचित मूल्य, पुनर्गठन से पहले दिए गए अग्रिम पर मौजूदा दर से लिए गए ब्याज और मूलधन को दर्शाने वाले नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में परिकलित किया जाएगा; इस मूल्य को पुनर्चना की तिथि पर बैंक की आधार प्रमुख उधार दर के बराबर दर पर, तथा पुनर्चना की तिथि पर उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम जोड़कर, डिस्काउंट किया जाएगा।

(3) पुनर्चना के बाद ऋण का उचित मूल्य पुनर्चना की तारीख पर ब्याज और मूलधन का प्रतिनिधित्व करने वाले नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में गणना की जाएगी, जिसे पुनर्चना की तारीख को बैंक की आधारभूत मूल उधार दर के साथ ही, पुनर्चना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम और क्रेडिट जोखिम प्रीमियम के बराबर दर पर छूट दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त सूत्र ब्याज दर चक्र के साथ ऋण के वर्तमान मूल्य में कमी के स्विंग को कम करता है और भविष्य में लगातार इसका पालन करना होगा।

(4) कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में, नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना उप-पैरा (1) से (3) में दर्शाए अनुसार की जाएगी; इसमें बकाया राशि या मूल राशि के रूप में स्वीकृत सीमा में से जो भी अधिक हो, उसे मूल राशि माना जाएगा और अग्रिम की अवधि एक वर्ष मानी जाएगी तथा छूट (डिस्काउंट) कारक में टर्म प्रीमियम वही लागू होगा जो एक वर्ष के लिए लागू होता है।

(5) कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में, सावधि ऋण घटकों (कार्यशील पूंजी सावधि ऋण और वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण) का उचित मूल्य वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार और



संबंधित सावधि ऋण घटकों की परिपक्वता के लिए लागू छूट कारक में सावधि प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए निकाला जाएगा।

(6) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई प्रतिभूति ली जाती है, तो प्रतिभूति की परिपक्वता तक उसका मूल्य ₹1/- होगा।

(7) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर तब तक दोबारा की जाएगी, जब तक कि सभी पुनर्भुगतान दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे न हो जाएं और खाते में बकाया राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान न हो जाए; ऐसा आधार मूल उधार दर, टर्म प्रीमियम और उधारकर्ता की क्रेडिट श्रेणी में बदलाव के कारण उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, प्रावधान में कमी होने पर उसके लिए व्यवस्था की जाएगी, अथवा किसी अलग खाते में रखे गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि को वापस लिया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

(8) यदि विशेषज्ञता/उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, किसी बैंक को छोटी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है, तो बैंक के पास यह वैकल्पिक विकल्प होगा कि वह उचित मूल्य में कमी की राशि की सांकेतिक गणना करे और कुल जोखिम के पाँच प्रतिशत की दर से उसके लिए प्रावधान करे; यह प्रावधान उन सभी पुनर्गठित खातों के संबंध में होगा, जिनमें बैंक का कुल बकाया ₹1 करोड़ से कम है।



(9) किसी खाते के लिए आवश्यक कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान + अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) बकाया ऋण राशि के 100 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

45. कोई भी बैंक, जो पैरा 34 से 38 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक निष्पादन का लाभ उठा रहा है, उसे आहरण शक्ति से अधिक मूल बकाया राशि के अनियमित हिस्से को परिवर्तित करके बनाए गए कार्यशील पूंजी सावधि ऋणों के असुरक्षित हिस्से के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करने होंगे:

(1) मानक आस्तियां: 20 प्रतिशत

(2) अव-मानक आस्तियां: पहले वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत, और उसके बाद निर्दिष्ट अवधि तक हर वर्ष इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

(3) यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद खाता उन्नयन के लिए पात्र नहीं होता है, तो असुरक्षित हिस्से पर 100 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा।

जी. आय निर्धारण

46. पुनर्चित खातों के संबंध में ब्याज आय को 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और 'गैर-निष्पादित आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के संबंध में इसे नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

47. बैंक, उन खातों के मामले में जहाँ पुनर्चना-पूर्व सुविधाओं को 'अव-मानक' और 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया था उन्हें अतिरिक्त वित्त पर ब्याज आय को केवल नकद आधार पर ही मान्यता देगा।



48. कोई बैंक, बिना चुकाए गए ब्याज को बदलकर बनाए गए 'निधिक ब्याज सावधि ऋण' (एफआईटीएल) पर ब्याज आय को निम्न प्रकार मान्यता देगा:
- (1) यदि कोई आय उत्पन्न होती है, तो उसे 'उपचय आधार' पर मान्यता दी जा सकती है, बशर्ते एफआईटीएल को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो; और उन मामलों में 'नकद आधार' पर मान्यता दी जाएगी जहाँ इसे 'गैर-निष्पादित आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।
 - (2) एफआईटीएल द्वारा दर्शाई गई 'अप्राप्त आय' के लिए, 'विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' नामक एक खाते में तदनुरूपी जमा प्रविष्टि होनी चाहिए।
 - (3) एफआईटीएल के मामले में, केवल ऋण चुकाए जाने पर ही प्राप्त राशि को 'लाभ और हानि खाते' में मान्यता दी जाएगी; और साथ ही, 'विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' में शेष राशि को भी तदनुरूपी रूप से कम किया जाएगा।

अध्याय VI - पुनर्रचना के विशेष मामले

ए. धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक करने वाले उधारकर्ता

49. जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी / कदाचार / इरादतन चूक की है, साथ ही कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, पुनर्रचना के लिए अयोग्य रहेगा।
50. इरादतन चूककर्ता या कोई भी इकाई जिसके साथ इरादतन चूककर्ता जुड़ा हुआ है, इरादतन चूककर्ताओं की सूची से इरादतन चूककर्ता का नाम हटाने के बाद पुनर्रचना के लिए पात्र होगा,



जो [भारतीय रिजर्व बैंक \(शहरी सहकारी बैंक - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन\) निदेश, 2025](#) के संदर्भ में इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपायों के अधीन है।

बी. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना

51. समझौता निपटान का उद्देश्य बैंक के सर्वोत्तम हित में, न्यूनतम खर्च पर संकटग्रस्त उधारकर्ता से अधिकतम वसूली करना होगा।
52. समझौता निपटान उधारकर्ताओं के लिए अधिकार के मामले में उपलब्ध नहीं है; बल्कि यह एक बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर प्रयोग किया जाने वाला विवेक है।
53. समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना भविष्य की आकस्मिक वसूली या बैंक द्वारा वसूली से संबंधित बैंक और उधारकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत संविदात्मक प्रावधानों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, इस तरह के दावों के निपटान के समय या बाद में ऐसी प्राप्ति की वास्तविक वसूली तक बैंक के तुलन पत्र पर किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं होने के अधीन होंगे।
बशर्ते बैंक के तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त ऐसे कोई भी दावे व्यवस्था को पुनर्चना के रूप में माना जाएगा।
54. पैरा 85 के बावजूद, ऐसा समझौता निपटान जहां तय की गई निपटान राशि के भुगतान की अवधि तीन महीनों से अधिक हो, उन्हें पुनर्चना माना जाएगा।



55. उधारकर्ता के साथ आंशिक निपटान से जुड़ी कोई भी व्यवस्था पुनर्रचना की परिभाषा के अंतर्गत भी आएगी और उस पर लागू प्रावधानों द्वारा शासित होगी।
56. तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बैंक द्वारा की गई एक लेखा प्रक्रिया है जिसे अशोध ऋणों को तुलन पत्र से साफ करने के लिए किया जाता है जो या तो अप्राप्य माने जाते हैं या जिनकी वसूली में उधारदाताओं के असमान संसाधनों की खपत होने की संभावना है। हालाँकि, इस तरह के तकनीकी बट्टे-खाते डालना में उधारकर्ता के विरुद्ध दावों की कोई छूट शामिल नहीं है और इस प्रकार बैंक के वसूली के अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जाएगा। तकनीकी बट्टे-खाते डालना से पहले की स्थिति के मुकाबले उधारकर्ताओं का कानूनी दायित्व और उनके लिए इस तरह के चूक की लागत अपरिवर्तित रहती है।
57. आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने के मामले में, प्रावधान और आस्ति वर्गीकरण सहित अवशिष्ट एक्सपोजर के संबंध में विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ मूल एक्सपोजर के संदर्भ में होंगी।
- बशर्ते आंशिक तकनीकी बट्टे खाते में डालने का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि सहित प्रावधानीकरण की राशि आस्ति के सकल मूल्य पर गणना के अनुसार मौजूदा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को पूरा करेगी।
58. समझौता निपटान और किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तकनीकी बट्टे खाते में डालने के संबंध में कम से कम तिमाही आधार पर अगले उच्च प्राधिकारी को सूचना का रिपोर्टिंग तंत्र होगा।
- बशर्ते एमडी एवं सीईओ / बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे-खाते डालना, बोर्ड को रिपोर्ट किए जाएंगे।



59. बोर्ड उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप को अनिवार्य करेगा ताकि कम से कम निम्नलिखित पहलुओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित किया जा सके:

- (1) समझौता निपटान और / या तकनीकी *बट्टे-खाते डालना* (क्यू-ओ-क्यू और वाई-ओ-वाई) के अधीन खातों और राशियों की संख्या में प्रवृत्ति;
- (2) उपरोक्त (1) में से, धोखाधड़ी, रेड-फ्लैग, इरादतन चूक और त्वरित अवसान खातों के रूप में वर्गीकृत खातों का अलग-अलग विभाजन;
- (3) राशि-वार, स्वीकृति प्राधिकारी-वार, और ऐसे खातों का व्यवसाय खंड / आस्ति-वर्गवार समूहीकरण;
- (4) तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली की सीमा।

60. समझौता निपटान के अधीन उधारकर्ताओं के संबंध में, बैंक द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं के लिए नए जोखिमों को स्वीकार करने से पहले संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा निर्धारित एक विराम अवधि होगी।

बशर्ते कृषि ऋण एक्सपोजर के अलावा अन्य एक्सपोजर के संबंध में विराम अवधि 12 महीने की न्यूनतम अवधि के अधीन होगी, जिसमें बैंक अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के संदर्भ में उच्च विराम अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बशर्ते यह भी कि कृषि ऋण एक्सपोजर के लिए विराम अवधि बैंक द्वारा उनकी संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।



स्पष्टीकरण: उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कृषि ऋण से [भारतीय रिजर्व बैंक \(शहरी सहकारी बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण\) निदेश, 2025](#) में सूचीबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए विस्तारित ऋण का संदर्भ होगा।

61. तकनीकी बट्टे-खाते डालना के अधीन एक्सपोजर के संबंध में अपनाई जाने वाली विराम अवधि बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होगी।
62. बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही के लिए पूर्वाग्रह के बिना इरादतन चूककर्ताओं या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता निपटान या तकनीकी बट्टे-खाते डालना कर सकता है।
63. भारतीय रिजर्व बैंक (यूसीबी, राज्य सहकारी बैंक, सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और शहरी सहकारी बैंक) निदेश, 2024 और भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निष्पादन) निदेश, 2025 के संदर्भ में धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक उपाय, उन मामलों में लागू रहेंगे जहां कोई बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान में प्रवेश करता है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में पैरा 61 और 63 में निर्दिष्ट विराम अवधि, ऐसे दंडात्मक उपायों के लिए प्रतिकूल नहीं होगी।

एफएक्यू1: सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोण से, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के साथ समझौते में प्रवेश करने के लिए बैंक की अनुमति देने का क्या तर्क है?



प्राथमिक विनियामक उद्देश्य किसी बैंक को बिना किसी देरी के चूक में पैसे की वसूली के लिए विभिन्न मार्गों से सक्षम करना है। समय मूल्य हानि के अलावा, अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप आस्ति मूल्य में गिरावट आती है जो अंतिम वसूली को बाधित करती है। समझौता निपटान को इन निदेशों के तहत एक वैध समाधान तंत्र के रूप में मान्यता दी गई है। जब धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से वसूली की बात आती है तो बैंक के लिए अनिवार्यताएं अलग नहीं होती हैं। कानूनी कार्यवाही के कारण समाधान के बिना बैंक के तुलन पत्र पर इस तरह के एक्सपोजर जारी रखने से बैंक की निधि एक अनुत्पादक आस्ति में लॉक हो जाएंगी, जो वांछनीय स्थिति नहीं होगी। जब तक बड़े नीतिगत मुद्दों का उचित रूप से समाधान नहीं किया जाता है और दुर्भावनापूर्ण कार्यों की लागत अपराधियों द्वारा वहन नहीं की जाती, तब तक सुरक्षा उपायों के अधीन, बैंक द्वारा शीघ्र वसूली एक पसंदीदा विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के विरुद्ध चल रही या प्रारम्भ की जाने वाली आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण कृत्य के अपराधी कानूनी दंड से बच न सकें।

एफएफ्यू 2: बैंक को धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता खातों की पुनर्चना करने की अनुमति नहीं है, सिवाय स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए समझौता निपटान के लिए एक अलग निष्पादन क्यों निर्धारित किया जाता है?

आम तौर पर पुनर्चना में पुनर्चना के बाद भी उधारकर्ता इकाई का निरंतर एक्सपोजर रखने वाला बैंक शामिल होता है और इसलिए, धोखाधड़ी या इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के मामले में, बैंक को उधारकर्ता इकाई के साथ अपने क्रेडिट संबंध को जारी रखने



की अनुमति देना नैतिक खतरे से भरा होगा। दूसरी ओर, एक समझौता निपटान में उधारकर्ता के साथ बैंक का पूर्ण अलगाव शामिल होता है। इसलिए, किसी बैंक को अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार उधारकर्ताओं के साथ निपटान की अनुमति देने से वसूली की संभावना बढ़ जाएगी।

64. इन निदेशों के तहत उधारकर्ताओं के साथ समझौता निपटान, प्रयोज्य किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना होंगे।
65. जहां कहीं भी किसी बैंक ने न्यायिक मंच के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की है और वहाँ ऐसे न्यायिक मंच के समक्ष लंबित है, उधारकर्ता के साथ किया गया कोई भी समझौता संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों से सहमति डिक्री प्राप्त करने के अधीन होगा।

सी. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित खातों का समाधान

66. बैंक अपने कार्यक्षेत्र में, सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को, अनुबंध में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान कर सकता है।
67. प्राकृतिक आपदा आने पर राहत उपाय करने में होने वाली देरी से बचने के लिए, बैंक निदेशक मंडल की मंजूरी से एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा तैयार करेगा।



स्पष्टीकरण: उपायों में कुछ लचीलापन रखा जा सकता है, ताकि उनका किसी विशेष स्थिति में उपयुक्त उपायों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

68. बैंक संविदा अधिनियम और परिसीमन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपने विधि विभागों के परामर्श से संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ीकरण को अंतिम रूप देगा; और इन निदेशों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित दस्तावेज़ीकरण के संबंध में अपने कार्यालयों को उचित अनुदेश देगा।

डी. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

69. इस पैरा 71 से 94 में निहित निदेश उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जहां 1 अक्टूबर, 2025 को वित्तीय समापन प्राप्त किया गया है, जिसके लिए 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रचलित परियोजना वित्त पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश, जो अन्यथा निरस्त माने जाएंगे, लागू होंगे।
70. पैरा 69 में दिए गए अनुदेशों के बावजूद, 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद ऐसी परियोजनाओं में नई क्रेडिट घटना और / या ऋण अनुबंध में भौतिक नियमों और शर्तों में परिवर्तन का कोई भी समाधान पैरा 71 से 94 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
71. बैंक परियोजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा और किसी भी तनाव के निर्माण की निगरानी करेगा और उससे उम्मीद की जाएगी कि वह समय से पहले समाधान योजना प्रारम्भ करे।
72. निर्माण चरण के दौरान किसी भी ऋणदाता के साथ क्रेडिट घटना का घटित होना, इन निदेशों के अध्याय III के संदर्भ में सामूहिक समाधान को ट्रिगर करेगी।



73. बैंक के साथ ऐसी किसी भी क्रेडिट घटना की रिपोर्ट बैंक द्वारा साप्ताहिक आधार पर सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC) को भेजने के साथ ही, पैरा 12 के अनुपालन में CRILC मुख्य रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी जाएगी।
74. बैंक, जो एक सहायता संघ (कंसोर्टियम) / बहु ऋण व्यवस्था का हिस्सा है, ऐसी क्रेडिट घटना की के घटित होने की रिपोर्ट कंसोर्टियम / बहु ऋण व्यवस्था के अन्य सभी सदस्यों को दी जाएगी।
75. पैरा 73 के अनुसार CRILC रिपोर्टिंग पर अनुदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।
76. बैंक समीक्षा अवधि के दौरान उधारकर्ता के खाते की प्रथम दृष्टया समीक्षा करेगा।
77. समीक्षा अवधि के दौरान, ऋणदाता द्वारा समाधान रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें समाधान योजना की प्रकृति, समाधान योजना के कार्यान्वयन का दृष्टिकोण आदि शामिल हैं।
78. ऋणदाता, दिवालियापन या वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
79. जिन मामलों में मूल / विस्तारित DCCO (जैसा भी मामला हो) के विस्तार से जुड़ी समाधान योजना को लागू किया जाना है, उन सभी मामलों में, बैंक सहित सभी ऋणदाता, समीक्षा अवधि के दौरान, एक 'इंटर-क्रेडिटर करार' करेंगे। इस करार का उद्देश्य उन उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए बुनियादी नियम निर्धारित करना होगा, जिन्होंने एक से अधिक ऋणदाताओं से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं।
80. इंटर क्रेडिटर करार में सम्मिलित होगा :



- (1) हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, जो कुल बकाया क्रेडिट सुविधाओं (निधि -आधारित और गैर-निधि-आधारित दोनों) के मूल्य के हिसाब से 75 प्रतिशत और हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या के हिसाब से 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता हो, सभी हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा; और
 - (2) समाधान योजनाओं में, असहमत हस्ताक्षरकर्ताओं को देय परिसमापन मूल्य से कम भुगतान न करने का प्रावधान होगा।
-
81. उपरोक्त पैरा 80 की अपेक्षाओं के अलावा, अंतर-लेनदार समझौते में, अन्य बातों के अलावा, बहुमत हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों, असहमत हस्ताक्षरकर्ताओं के कर्तव्यों और अधिकारों की सुरक्षा, नकदी प्रवाह / विभेदक प्रतिभूति ब्याज आदि में प्राथमिकता वाले हस्ताक्षरकर्ताओं का निष्पादन प्रदान किया जाएगा।
 82. संबंधित लेनदारों द्वारा समाधान योजना को स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ित किया जाएगा (भले ही किसी भी नियम और शर्तों में कोई बदलाव न हो)।
 83. यदि किसी परियोजना वित्त खाते में, जिसे 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – क्रेडिट सुविधाएँ) निदेश, 2025 में परियोजना वित्त की मंजूरी, वितरण और निगरानी के लिए निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवेकपूर्ण शर्तों को पूरा करता है, एक ऐसी समाधान योजना लागू की जाती है जिसमें मूल / विस्तारित DCCO (जैसा भी मामला हो) का विस्तार शामिल है, तो ऐसे खाते का आस्ति वर्गीकरण 'मानक' के रूप में



ही बना रहेगा, बशर्ते कि परिकल्पित समाधान योजना प्रारम्भ से ही निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप हो:

(1) अनुमत DCCO स्थगन – मूल / विस्तारित DCCO जैसा भी मामला हो, का विस्तार किया जाता है, साथ ही समान या कम अवधि के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में परिणामी बदलाव भी किया जाता है (संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची की शुरू होने की तारीख और समाप्त होने की तारीख सहित), जो निम्नलिखित समय सीमाओं के भीतर हो:

	अवसंरचना परियोजनाएं	गैर-अवसंरचना परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)
मूल डीसीसीओ से डीसीसीओ के स्थगन की अनुमति दी गई	3 साल तक	2 साल तक



स्पष्टीकरण: सीआरई और सीआरई-आरएच परियोजनाओं के लिए, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (समय-समय पर अद्यतन) के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है।

- (2) लागत अतिप्रवाह - बैंक उप पैरा (1) के अनुपालन में अनुमत डीसीसीओ स्थगन से जुड़े लागत अतिप्रवाह को समाधान योजना के भाग के रूप में वित्तपोषित कर सकता है और खाते को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:
- (i) निर्माण के दौरान ब्याज के अतिरिक्त मूल परियोजना लागत के अधिकतम दस प्रतिशत तक की लागत में वृद्धि।
 - (ii) लागत में वृद्धि को वित्तीय समापन के समय बैंक द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और जिसे सुविधा के अंतर्गत ड्रॉ-डाउन होने तक अबाधित रूप से नवीनीकृत किया जाता है।
 - (iii) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, ऐसे मामलों में जहां वित्तीय समापन के समय वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा स्वीकृत नहीं की गई थी, या स्वीकृत की गई थी लेकिन बाद में नवीनीकृत नहीं की गई, ऐसे अतिरिक्त निधीयन (फंडिंग) का मूल्य उस प्रीमियम पर होगा जो पूर्व-स्वीकृत वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा पर लागू होगा। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण-अनुबंधों में वैकल्पिक क्रेडिट सुविधा पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त एक्सपोजर प्रीमियम को निर्दिष्ट किया जाए, जिसे ऐसी



सुविधाओं की स्वीकृति के समय वास्तविक एक्सपोजर मूल्यांकन के आधार पर ऊर्ध्वगामी रूप से संशोधित किया जा सकता है।

- (iv) डी / ई अनुपात, बाहरी क्रेडिट रेटिंग (यदि कोई हो) आदि जैसे वित्तीय मापदंड ऐसे लागत अतिप्रवाह वित्तपोषण के बाद बैंक के पक्ष में अपरिवर्तित रहते हैं या बढ़ जाते हैं।

स्पष्टीकरण: उन परियोजनाओं के लिए जहां सभी उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ से कम है, आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर विचार किया जा सकता है, यदि परियोजना को मूल रूप से बाहरी रूप से क्रेडिट रेट नहीं किया गया था।

- (3) दायरा और आकार में परिवर्तन – किसी परियोजना वित्त खाता जहां परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना परिव्यय में वृद्धि के कारण डीसीसीओ विस्तार की आवश्यकता होती है, को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने के अधीन 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) मूल परियोजना के संबंध में किसी भी लागत-अतिवृद्धि को छोड़कर परियोजना लागत में वृद्धि मूल परिव्यय का 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, जैसा भी मामला हो।

उदाहरण I:

परियोजना की मूल लागत - 1,000 करोड़ रुपये



परियोजना की संशोधित लागत - 1,200 करोड़ रुपये

लागत में वृद्धि - 200 करोड़ रुपये अर्थात् 20%

लागत में वृद्धि का स्त्रोत

ए. दायरे में परिवर्तन 18%

बी. अतिप्रवाह लागत 2%

दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि केवल 180 करोड़ (18%) है। चूंकि

दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 18% है, जो कि 25% से कम है, इसलिए

कोई आस्ति वर्गीकरण लाभ नहीं होगा।

उदाहरण II :

परियोजना की मूल लागत - 1,000 करोड़ रुपये

परियोजना की संशोधित लागत - 1,400 करोड़ रुपये

लागत में वृद्धि - 400 करोड़ रुपये अर्थात् 40%

लागत में वृद्धि का स्त्रोत

ए. दायरे में परिवर्तन 30%

बी. अतिप्रवाह लागत 10%

दायरे में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि ₹300 करोड़ (30%) है। चूंकि दायरे

में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि 30% है, जो 25% से अधिक है, इसलिए

आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा।



(ii) यूसीबी दायरे में वृद्धि को मंजूरी देने और नया डीसीसीओ तय करने से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करता है।

(iii) पुनः रेटिंग पर (यदि पहले से ही रेटिंग दी गई है), नई बाहरी क्रेडिट रेटिंग पिछले बाहरी क्रेडिट रेटिंग से एक पायदान से अधिक नीचे नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते, यदि परियोजना ऋण के दायरे या आकार में वृद्धि के समय अनरेट नहीं किया गया था, तो यह उन परियोजनाओं के मामले में दायरे या आकार में ऐसी वृद्धि पर बाहरी रूप से रेटेड निवेश ग्रेड होना चाहिए जहां सभी उधारदाताओं का कुल एक्सपोजर ₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है।

84. 'दायरे में परिवर्तन' के कारण मानक आस्ति वर्गीकरण लाभ परियोजना के जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही दिया जाएगा।

85. पैरा 83 में निर्दिष्ट सभी मामलों में, समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए समीक्षा अवधि के अंत से 180 दिनों की समाप्ति से पहले सभी उधारदाताओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी:

(1) ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन / प्रतिभूति प्रभार / प्रतिभूतियों की पूर्णता सहित सभी आवश्यक दस्तावेज़, कार्यान्वित की जा रही समाधान योजना के अनुरूप पूरे किए जाते हैं;

(2) नई पूंजी संरचना और / या वित्तपोषण समझौते में परिवर्तन ऋणदाता और उधारकर्ता की बहियों में विधिवत रूप से प्रतिबिंबित होते हैं।



86. यदि डीसीसीओ में परिवर्तन से संबंधित समाधान योजना को पैरा 83 और / 85 के संदर्भ में सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जाता है, तो खाते को तुरंत एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा।
87. पैरा 83 के अनुपालन के लिए एनपीए में डाउनग्रेड किया गया एक परियोजना वित्त खाता, वास्तविक डीसीसीओ के बाद खाते के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद ही अपग्रेड किया जा सकता है।
88. पैरा 85 के अनुपालन के लिए एनपीए में डाउनग्रेड किया गया एक परियोजना वित्त खाता, समाधान योजना के सफल कार्यान्वयन पर अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते कि डीसीसीओ के स्थगन के लिए कोई और अनुरोध प्राप्त न हो।
89. किसी परियोजना वित्त खाते के संबंध में आय निर्धारण जहां मूल / विस्तारित डीसीसीओ के विस्तार से संबंधित समाधान निम्न प्रकार होगा:
- (1) बैंक परियोजना वित्त जोखिमों के संबंध में उपार्जन के आधार पर आय को मान्यता दे सकता है जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - (2) एनपीए के लिए, आय निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निहित निदेशों के अनुसार होगा।
90. जिन खातों ने पैरा 83 से 86 के अनुसार डीसीसीओ स्थगन का लाभ उठाया है और उन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट लागू मानक आस्ति प्रावधान के



अतिरिक्त, स्थगन की प्रत्येक तिमाही के लिए अवसंरचना परियोजना ऋणों के लिए 0.375 प्रतिशत और गैर-अवसंरचना परियोजना ऋणों (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित) के लिए 0.5625 प्रतिशत के अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाएगा।

अवसंरचना परियोजनाएं	गैर-अवसंरचना परियोजनाएं (सीआरई और सीआरई-आरएच सहित)
उदाहरण III: वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2026 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 3.750 करोड़	उदाहरण IV : वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2026 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 5.625 करोड़
उदाहरण V: वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2027 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 18.750 करोड़ रुपये	उदाहरण VI: वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026 विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2027 निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 28.125 करोड़ रुपये
उदाहरण VII वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026	उदाहरण VIII वित्त पोषित बकाया - 1000 करोड़ रुपए मूल डीसीसीओ - 01 जनवरी, 2026



विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2029	विस्तारित डीसीसीओ - 01 अप्रैल, 2028
आस्ति वर्गीकरण - एनपीए	आस्ति वर्गीकरण - एनपीए
निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 150 करोड़	अनुरक्षित किए जानेवाले विशिष्ट प्रावधानों की मात्रा - 150 करोड़ रुपये

91. पैरा 90 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर उलट दिए जाएंगे।
92. पैरा 90 में निर्दिष्ट मौजूदा परियोजनाओं के लिए पैरा 99 में निर्धारित प्रावधान लागू नहीं होंगे और ऐसे परियोजना ऋण 1 अक्टूबर, 2025 से पहले प्रावधानीकरण के उद्देश्य से प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होते रहेंगे, जो अन्यथा निरस्त माने जाएंगे।
93. पैरा 94 में दिए गए अनुदेशों के बावजूद, ऐसी परियोजनाओं में नए क्रेडिट घटना के किसी समाधान और / या ऋण अनुबंध में भौतिक नियम और शर्तों में परिवर्तन के मामले में, पैरा 115 में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर लागू होंगे जैसे कि ये 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत किए गए थे।
94. परियोजना ऋणों के लिए प्रावधानीकरण, जिन्हें 'मानक' (निर्माण या परिचालन चरण) या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, का प्रावधानीकरण [भारतीय रिजर्व बैंक \(शहरी सहकारी बैंक-आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण\) निदेश, 2025](#) में निहित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगा।



ई. मियादी ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा स्वीकृत पुनर्वास पैकेजों के तहत दिए गए अग्रिम

95. बैंक किसी भी अग्रिम के वर्गीकरण को पुनः-पराक्रमित शर्तों पर अपग्रेड नहीं करेगा जब तक कि पुनः-पराक्रमित शर्तों के पैकेज ने एक वर्ष तक संतोषजनक रूप से कार्य न किया हो।

96. जहां पुनर्वास पैकेज के तहत मियादी ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा अनुमोदित इकाई को स्वीकृत मौजूदा क्रेडिट सुविधाएं पुनर्वास पैकेज के तहत स्वीकृत अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में, यथास्थिति, अवमानक या संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत की जाती रहेंगी तथा आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण मानदंड, वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद लागू होंगे।

97. एसएसआई यूनिटों के संबंध में भी इसी तरह की छूट दी जाएगी, जिनकी बैंकों द्वारा स्वयं 'रुग्ण' के रूप में पहचान की गई और जिनके लिए पुनर्वास पैकेज / नर्सिंग कार्यक्रम बैंकों ने स्वयं या कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत तैयार किए हैं।

98. बैंक, मियादी ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा स्वीकृत पुनर्वास पैकेजों के तहत दिए गए अग्रिमों के संबंध में उपर्युक्त आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार प्रावधान करेगा।

99. एसएसआई यूनिटों को दी गई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में—जिनकी 'बीमार' के रूप में पहचान की गई है और जिनके लिए पुनर्वास पैकेज / नर्सिंग कार्यक्रम, बैंक ने स्वयं या कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत तैयार किए हैं, को एक वर्ष की अवधि तक कोई भी प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी।



अध्याय V - सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

ए. सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के संबंध में विवेकपूर्ण निष्पादन:

100. बैंक, मौजूदा विनियामकीय मानदंडों के अधीन, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर, सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष डीआरएस में भाग लेने का निर्णय ले सकता है।
101. योजना का कोई भी प्रावधान जो उधारकर्ताओं के दीर्घकालिक हित में हो या विवेकपूर्ण कारणों से उसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, उसे डीआरएस को डिजाइन करते समय परामर्श चरण के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी/ प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
102. बैंक स्पष्ट रूप से उस बकाया राशि का निर्धारण करेगा जो डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं के संबंध में उनकी बहियों में क्रिस्टलीकृत हो सकती है, जिसमें गैर-निष्पादित खातों में संचित ब्याज भी शामिल है, ताकि सरकार वित्तीय भागीदारी की सीमा के लिए उचित रूप से व्यवस्था कर सके।
103. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरएस के तहत कवर किए जाने वाले उधारकर्ताओं का चयन ऐसी योजनाओं की शर्तों के अनुसार सख्ती से किया जाए ताकि तकनीकी आधार पर प्राधिकारियों द्वारा बाद में प्रवेश न किया जा सके।
104. योजना के नियम और शर्तों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पहलू, जिसमें नए क्रेडिट के विस्तार के लिए विराम अवधि, क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव आदि शामिल हैं, प्रस्तावित डीआरएस के तहत लाभ प्राप्त



करने के लिए उधारकर्ता से स्पष्ट सहमति प्राप्त करते समय उधारकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

105. डीआरएस के लाभार्थियों के उधारकर्ता खातों में बैंक द्वारा योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में या उसके कार्यान्वयन के बाद उपार्जित लेकिन अप्राप्त ब्याज की कोई भी छूट और / या मूलधन का त्याग, एक समझौता निपटान माना जाएगा और पैरा 51 से 65 में निहित विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

106. यदि डीआरएस के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि उधारकर्ता के संपूर्ण बकाया देय राशि को कवर करती है, जिसमें बैंक द्वारा धनराशि प्राप्त करने की तारीख तक अर्जित मूलधन और ब्याज शामिल है, तो इससे उधारकर्ता के ऋण दायित्वों का समापन हो जाएगा।

107. ऐसे मामलों में जहां योजना के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्राप्त धन उधारकर्ता के पूरे बकाया देय राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट एक्सपोजर (मूलधन और / या उपार्जित ब्याज) होता है, अवशिष्ट एक्सपोजर के आस्ति वर्गीकरण का मूल्यांकन मूल ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते ऐसे मामलों में मूल ऋण अनुबंध के नियम और शर्तों में कोई भी परिवर्तन / आशोधन इन निदेशों में परिभाषित पुनर्चना के परीक्षण के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और उसमें विवेकपूर्ण निष्पादन किया जाएगा।

108. ऐसे उधारकर्ताओं को कोई भी नया क्रेडिट एक्सपोजर प्रासंगिक आंतरिक नीति के तहत बैंक के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार होगा, जो मौजूदा लागू नियमों के अधीन होगा।



109. योजना के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट सूचना कंपनियों को बैंक की रिपोर्टिंग इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित की जाएगी।
110. डीआरएस के कारण सरकार के विरुद्ध कोई प्राप्य राशियाँ नहीं बनायी जाएगी और बैंक द्वारा धन प्राप्त होने तक उधारकर्ता पर एक्सपोजर जारी रहेगा।
111. निधि प्राप्त होने तक, बैंक आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना जारी रखेगा और जहां भी खाते गैर-निष्पादित हैं, बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार वसूली उपायों के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।
112. पैरा 110 से 111 में निहित निदेश 31 दिसंबर, 2024 को या उसके बाद अधिसूचित डीआरएस के संबंध में लागू होंगे और इन अनुदेशों में निहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।
113. इन अनुदेशों के संदर्भ में, एक मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी राज्य सरकारों (अनुबंध II) के साथ साझा की गई है, ताकि सरकार, ऋणदाता, उधारकर्ता आदि सहित हितधारकों की अपेक्षाओं के किसी भी गैर-संरेखण के परिवर्जन के लिए एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह के डीआरएस को डिजाइन और कार्यान्वित किया जा सके।
114. 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषित राहत उपायों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक समय से सरकार के पास लंबित किसी भी बकाया राशि पर 100 प्रतिशत विशिष्ट प्रावधान किया जाएगा।



115. बैंक, पैरा 114 में उल्लिखित बकाया राशि के निपटान के लिए आवश्यक करेगा और संबंधित सरकारों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।



अध्याय VI - विशेष उपाय

ए. व्यापार राहत उपाय

116. वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण व्यापार व्यवधानों से ऋण के बोझ को कम करने और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक [भारतीय रिज़र्व बैंक \(व्यापार राहत उपाय\) निदेश, 2025 दिनांक 14 नवंबर, 2025](#) के तहत निर्दिष्ट पात्र उधारकर्ताओं को राहत उपाय दे सकते हैं। इन निदेशों में, अन्य बातों के साथ, उपायों के लिए एक सावधि विधि खंड शामिल किया गया है।



अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

117. इन निदेशों के जारी होने के साथ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाले दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि [28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।
118. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित कार्रवाई, या शुरू की गई कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावती इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके



अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (1) कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व अर्जित, उपार्जित या उसके तहत अर्जित;
- (2) कोई भी दंड, जब्ती, या कोई भी सजा जो उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में हुई है;
- (3) उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या जुर्माना के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती या जुर्माना लगाया जा सकती है जैसे कि उन निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं

119. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अपवाद नहीं होंगे।

सी. व्याख्याएँ

120. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए या इन निदेशों के प्रावधानों के प्रयोज्यता या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक को आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर



सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश

1. आवधिक परंतु समय-समय पर होने वाले सूखे, बाढ़, चक्रवात, ज्वारीय लहरें और अन्य प्राकृतिक आपदाएं देश के एक या दूसरे क्षेत्र में मानव जीवन की भारी क्षति और आर्थिक गतिविधियों को व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली तबाही के लिए सभी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर पुनर्वास प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और स्थानीय प्राधिकरण प्रभावित लोगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार में बैंकों को सौंपी गई विकासात्मक भूमिका सक्रिय समर्थन की गारंटी देती है।
2. जैसाकि प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र और घटना का समय और तीव्रता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि बैंकों के पास ऐसी घटनाओं में कार्रवाई करने की योजना तैयार हो ताकि आवश्यक राहत और सहायता त्वरित तथा यथासमय प्रदान की जा सके। यह पूर्व-धारणा होती है कि बैंकों की सभी शाखाओं के पास स्थायी अनुदेशों का एक सेट होगा जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि जिला / राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित घोषणा के तुरंत बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शाखाओं को क्या कार्रवाई करनी होगी। यह अपेक्षित है कि ये अनुदेश राज्य सरकार के प्राधिकारियों और सभी जिला कलेक्टरों के पास भी उपलब्ध हों ताकि सभी संबंधित लोगों को यह स्पष्ट हो जाए कि प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी।
3. बैंकों द्वारा ऋण सहायता के प्रावधान के संबंध में सटीक विवरण, स्थिति की आवश्यकता, उनकी अपनी परिचालन क्षमताओं और उधारकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों पर निर्भर करेगा। यह निर्णय वे जिला अधिकारियों के परामर्श से ले सकते हैं।
4. फिर भी, बैंकों को एक समान और ठोस कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों, लघु औद्योगिक इकाइयों, कारीगरों, छोटे व्यवसायों और



व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों की अनुशंसा की जाती है।

5. वित्तपोषण संस्थानों द्वारा समन्वय और त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रभावित जिलों की संबंधित जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के संयोजक प्राकृतिक आपदाओं की घटना के तुरंत बाद एक बैठक बुलाएं। राज्य के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाली आपदा की स्थिति में, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवश्यक सहायता की मात्रा निर्धारित करते समय राज्य / जिला अधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई का समन्वित कार्यक्रम विकसित करने के लिए तुरंत बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें यूसीबी को राज्य सरकार और / या अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता / सस्बिडी पर विचार किया जा सकता है।
6. बैंकों के क्षेत्रीय / क्षेत्रीय प्रमुखों को कुछ विवेकाधिकार प्रदान किए जाने चाहिए ताकि उन्हें जिला / राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों द्वारा सहमत कार्रवाई के लिए अपने केंद्रीय कार्यालयों से नई मंजूरी लेने की आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए, उधारकर्ता की कुल देनदारी (अर्थात् पुराने ऋण से उत्पन्न होने वाली जहां वित्तपोषित आस्तियां प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त या खो गई हैं और साथ ही ऐसी आस्तियों के निर्माण / मरम्मत के लिए नया ऋण, मार्जिन, सुरक्षा आदि) को ध्यान में रखते हुए वित्त के पैमाने को अपनाने, ऋण अवधि का विस्तार करने, नए ऋणों की स्वीकृति के संबंध में इस तरह की विवेकाधीन शक्ति आवश्यक होगी।
7. लाभार्थियों की पहचान
 - (1) बैंक शाखाओं को अपने परिचालन क्षेत्र के भीतर प्रभावित गांवों की सूची संबंधित सरकारी अधिकारियों से प्राप्त करनी चाहिए। पहचान किए गए व्यक्तियों में से, बैंकों के मौजूदा घटकों द्वारा बनाए गए नुकसान का आकलन करना आसान होगा। हालांकि, नए उधारकर्ताओं के मामले में, इस संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ की जानी चाहिए और सरकार की सहायता ली जानी चाहिए। जहां भी उपलब्ध हो, उनकी आवश्यकताओं की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए। फसल ऋण के संबंध में रूपांतरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उन क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया जहां ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं, को पैरा 10 में फसल ऋण के अंतर्गत इंगित किया गया है।



8. कवरेज

- (1) प्रत्येक शाखा न केवल अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य पात्र व्यक्तियों को भी ऋण सहायता प्रदान करेगी, बशर्ते कि वे किसी अन्य वित्तीय एजेंसी द्वारा कवर न किए गए हों।

9. प्राथमिकताएं

- (1) खड़ी फसलों / बागों / वृक्षारोपण आदि की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी। पशुधन शेड, अनाज और चारा भंडारण / संरचनाओं, जल निकासी, पम्पिंग और अन्य आवश्यक उपकरणों की मरम्मत के लिए पंप-सेट, मोटर, इंजन और अन्य आवश्यक उपायों और संचालन की मरम्मत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। मौसमी आवश्यकताओं के अधीन, अगली फसल वित्तपोषण लिया जाएगा।

10. कृषि ऋण

- (1) कृषि के संबंध में बैंक सहायता फसलों को उगाने के उद्देश्य से अल्पकालिक ऋण और दुधारू / मवेशी खरीदने के लिए सावधि ऋण, मौजूदा ट्यूबवेल और पंप-सेट की मरम्मत, नए ट्यूबवेल की खुदाई और नए पंप-सेट की स्थापना, भूमि सुधार, गाद / रेत हटाने, खड़ी फसलों / बागों / वृक्षारोपण आदि की सुरक्षा और कायाकल्प, पशुधन शेड की मरम्मत और सुरक्षा, अनाज और चारा भंडारण संरचनाएं आदि के रूप में आवश्यक होगी। जहां प्राकृतिक आपदाएं कृषि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को क्षीण करती हैं, राहत उपाय के रूप में बैंक स्वयं निम्नवत निर्णय ले सकते हैं:
 - (i) अल्पकालिक उत्पादन ऋण को सावधि ऋण में परिवर्तित करना या पुनर्भुगतान अवधि को पुनः निर्धारित करना, और
 - (ii) नए अल्पकालिक ऋण स्वीकृत करना
- (2) रूपांतरण या पुनःअनुसूचीकरण के ऐसे मामलों में, सावधि ऋण के साथ-साथ नए अल्पकालिक ऋण को वर्तमान देय माना जा सकता है और इसे गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन ऋणों का आस्ति



वर्गीकरण संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा और इन्हें कृषि अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए लागू मौजूदा मानदंडों के तहत एनपीए माना जाएगा।

- (3) फसल ऋण: सूखे, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, सरकारी प्राधिकारी यह इंगित करने के लिए एक नई घोषणा करेंगे कि फसलें किस हद तक क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालाँकि, जहां ऐसा घोषणा नहीं की गई है, वहां बैंकों को रूपांतरण सुविधाएं प्रदान करने में देरी नहीं करनी चाहिए, और जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र कि फसल की उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से कम है ऐसे मामले में डीसीसी के विचारों द्वारा समर्थित (जिसके लिए एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है) त्वरित राहत व्यवस्था लागू करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कलेक्टर का प्रमाणपत्र सभी फसलों को कवर करते हुए फसल-वार जारी किया जाना चाहिए, जिसमें खाद्यान्न भी शामिल है। नकद फसलों के संबंध में ऐसे प्रमाण पत्र जारी करना, कलेक्टर के विवेक पर छोड़ दिया जा सकता है।
- (4) प्रभावी होने के लिए, किसानों को सहायता अत्यंत तेजी से वितरित की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अग्रणी बैंक और संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा ऐसी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जिसके द्वारा उधारकर्ताओं की पहचान, सरकारी / बैंक के बकाया के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करना, जमीन पर आवेदक का स्वत्व आदि एक साथ सुरक्षित किया जाए।
- (5) जिले के अधिकारियों के साथ परामर्श से ऋण शिविरों के आयोजन की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है और जहां ऐसे ऋण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ ब्लॉक विकास और राजस्व अधिकारी, सहकारी निरीक्षक, पंचायत प्रधान आदि मौके पर ही आवेदनों को अंतिम रूप देने में मदद कर सकते हैं। राज्य सरकार, कलेक्टरों के साथ यह भी व्यवस्था करेगी कि निम्नलिखित अधिकारियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को ऋण शिविर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत परिकल्पित संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संचालित के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया जाए:
 - (i) ब्लॉक विकास अधिकारी
 - (ii) सहकारी निरीक्षक
 - (iii) राजस्व प्राधिकारी / ग्राम राजस्व सहायक



- (iv) क्षेत्र में कार्यरत यूसीबी अधिकारी
- (v) पैक्स (PACS) / लैम्प्स (LAMPS) / एफएसएस (FSS)
- (vi) ग्राम पंचायत प्रधान

विलंब के परिवर्जन के लिए, जिन प्रपत्रों में राज्य सरकार के अधिकारियों को क्रेडिट शिविरों में प्रमाण पत्र देना होता है, उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराया जा सकता है।

- (6) आगामी फसल के मौसम के लिए ऋण आवेदनों पर विचार करते समय, राज्य सरकार के आवेदकों के वर्तमान बकाया को नजरअंदाज किया जा सकता है, बशर्ते कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा की घटना की तारीख को सरकार के कारण सभी देय राशि पर पर्याप्त लंबी अवधि के लिए अधिस्थगन की घोषणा करे।

11. उपभोग ऋण

- (1) ₹5000 तक के ऋण सामान्य उपभोग उद्देश्यों के लिए बिना किसी संपार्श्विक के मौजूदा उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए जा सकते हैं और इस प्रकार के ऐसे ऋण प्रदान किए जा सकते हैं, भले ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोई जोखिम निधि गठित नहीं की गई हो।

12. नया ऋण

- (1) उत्पादक गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने के लिए समय पर नई वित्तीय सहायता न केवल मौजूदा उधारकर्ताओं को प्रदान की जा सकती है, बल्कि अन्य पात्र उधारकर्ताओं को भी प्रदान की जा सकती है। मौजूदा खाते की स्थिति के बावजूद, उधारकर्ताओं को दिए गए नए ऋणों को वर्तमान बकाया माना जाएगा।

13. विद्यमान ऋणों का पुनर्चना

- (1) चूँकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की आर्थिक गतिविधियों को नुकसान और आर्थिक संपत्तियों के नुकसान के कारण उनकी चुकाने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित हो जाती है, इसलिए प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणों की पुनर्चना में राहत आवश्यक हो जाती है और इसलिए मौजूदा ऋणों की पुनर्चना आवश्यक होगी। फसल ऋणों और



कृषि सावधि ऋणों में बकाया मूलधन राशि के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज को सावधि ऋणों में परिवर्तित किया जा सकता है।

- (2) पुनर्चित सावधि ऋणों की चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता और उसकी पुनरावृत्ति, आर्थिक संपत्तियों के नुकसान की सीमा और संकट के कारण अलग-अलग हो सकती है। आम तौर पर, पुनर्चित अवधि पुनर्भुगतान के लिए 3 से 5 वर्ष हो सकती है। हालाँकि, जहाँ आपदा से उत्पन्न नुकसान बहुत गंभीर है, यूसीबी अपने विवेक पर पुनर्भुगतान की अवधि को 7 साल तक विस्तारित सकते हैं और कठिनाई के चरम मामलों में, पुनर्भुगतान की अवधि अधिकतम 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पुनर्चना के सभी मामलों में, कम से कम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को ऐसे पुनर्चित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षा का आग्रह नहीं करना चाहिए। पुनर्चित सावधि ऋण और अन्य देय राशि के आस्ति वर्गीकरण की स्थिति निम्नानुसार होगी:
- (3) पुनर्चित फसल ऋणों को वर्तमान बकाया के रूप में माना जा सकता है और उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्चित सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण उसके बाद संशोधित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा और यदि अल्पकालिक फसलों के लिए दो फसल सत्रों के लिए और दीर्घकालिक फसलों के लिए एक फसल सत्र के लिए ब्याज और / या मूलधन की किस्त बकाया रहती है तो उसे एनपीए माना जाएगा। कृषि विशेषज्ञ द्वारा उगाए गए फसलों की अवधि के आधार पर, उपरोक्त मानदंडों को पुनर्चित कृषि सावधि ऋणों पर भी लागू किया जाएगा।
- (4) उपरोक्त मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आय निर्धारन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 में सूचीबद्ध सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू होंगे।
- (5) अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, को 'मानक आस्ति' माना जा सकता है और इसके भविष्य के आस्ति वर्गीकरण को इसकी स्वीकृति के नियम और शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा।
- (6) यदि प्राकृतिक आपदा की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पुनर्चना पूरी हो जाती है तो प्राकृतिक आपदा की तारीख को आस्ति वर्गीकरण जारी रहेगा। अन्यथा पुनर्चित खाते



इन निदेशों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। इसके अलावा, अव-मानक खातों पर लागू दिशानिर्देश, संदिग्ध खातों पर भी लागू होंगे।

- (7) खुदरा या उपभोक्ता ऋण खंड में, बैंक उधारकर्ताओं के लिए उपयुक्त तरीके से मामले-दर-मामले के आधार पर ऋणों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

14. वित्त का पैमाना

- (1) किसी जिले में विभिन्न फसलों के संबंध में वित्त का पैमाना में समान होगा। विभिन्न ऋण एजेंसियों द्वारा वर्तमान में अपनाए गए प्रचलित परिस्थितियों और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पैमाना तय किया जाएगा। पैमाना तय करते समय, उधारकर्ताओं की न्यूनतम खपत की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और जिले में कार्यरत बैंकों की शाखाओं के प्रबंधकों को निर्धारित पैमाने अपनाने की सलाह दी जाएगी।

15. विकास ऋण - निवेश लागत

- (1) मौजूदा सावधि ऋण किस्तों को उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता और प्राकृतिक आपदा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पुनर्रचित / लंबित करना होगा
- (i) सूखा, बाढ़ या चक्रवात आदि जहां केवल उस वर्ष की फसल क्षतिग्रस्त होती है और उत्पादक संपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं होती है।
- (ii) बाढ़ या चक्रवात जहां उत्पादक संपत्ति आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और उधारकर्ताओं को नए ऋण की आवश्यकता होती है।
- (2) उप-पैरा (1) (i) के तहत प्राकृतिक आपदा के संबंध में, बैंक प्राकृतिक आपदा के वर्ष के दौरान किस्त का भुगतान लंबित कर सकते हैं और ऋण अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, सिवाय (निम्नलिखित अपवादों के अधीन) -
- (i) वे कृषक जिन्होंने उस विकास या निवेश को प्रभावित नहीं किया था जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था या ऋण से खरीदे गए उपकरण या मशीनरी का निपटान कर दिया था।
- (ii) जो आयकर दाता हैं।



- (iii) सूखे की स्थिति में, वे लोग जिनके पास सिंचाई के बारहमासी स्रोत हैं, सिवाय उन स्थानों के जहां नहरों से पानी की आपूर्ति नहीं की गई थी या अन्य बारहमासी स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
 - (iv) ट्रैक्टर मालिक, वास्तविक मामले को छोड़कर जहां आय का नुकसान और उनकी चुकौती क्षमता में परिणामी हानि होती है।
- (3) इस व्यवस्था के तहत प्रारम्भिक वर्षों में इरादतन चूक की गई किस्ते पुनर्चना के लिए पात्र नहीं होंगी। बैंकों को उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज का भुगतान लंबित करना पड़ सकता है। अवधि को तय करते समय ब्याज के प्रति प्रतिबद्धता को भी ध्यान में रखा जाएँ।
- (4) उपरोक्त उप-पैरा (1)(i) के संबंध में, अर्थात्, जहां उधारकर्ता की संपत्ति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, ऋण अवधि के विस्तार के माध्यम से पुनर्व्यवस्थित करने का निर्धारण उधारकर्ता की समग्र चुकौती क्षमता के आधार पर किया जा सकता है जिसमें पुराने सावधि ऋणों पर उसकी चुकौती प्रतिबद्धता और अल्पकालिक ऋणों के पुनर्भुगतान को स्थगित करने के कारण रूपांतरण ऋण (मध्यम अवधि ऋण) और नए फसल ऋण शामिल हैं। ऐसे मामलों में, कुल ऋण की चुकौती अवधि (ब्याज देयता सहित) सरकार की एजेंसियों से प्राप्त सब्सिडी, बीमा योजनाओं के तहत उपलब्ध मुआवजा आदि को उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 15 वर्षों तक तय किया जा सकता है, जो निवेश के प्रकार के साथ-साथ वित्तपोषित नई संपत्ति के आर्थिक (उपयोगी) जीवन पर निर्भर करता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ऋण भूमि निर्माण, गाद हटाने, मृदा संरक्षण आदि से संबंधित हैं। इस प्रकार, कृषि मशीनरी, अर्थात् पंप-सेट और ट्रैक्टरों के लिए ऋण के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल ऋण अवधि आम तौर पर अग्रिम की तारीख से 9 वर्ष से अधिक न हो।
16. मौजूदा सावधि ऋणों को पुनर्चना करने के अलावा, बैंक प्रभावित किसानों को विकासात्मक उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के सावधि ऋण प्रदान करेंगे, जैसे:



- (1) **लघु सिंचाई: कुओं,** पंप-सेट आदि की मरम्मत के लिए सावधि ऋण, जिन्हें नुकसान की सीमा और मरम्मत की अनुमानित लागत का आकलन करने के बाद निर्धारित किया जाना है।
- (2) **बैल: जहां** सूखे के कारण जानवर बह गए, वहां बैल / नर-भैंसों की नई जोड़ी के लिए नए ऋण के अनुरोधों पर विचार किया जा सकता है। जहां नए मवेशियों की खरीद के लिए ऋण दिया जाता है या जहां किसानों ने दुधारू मवेशी खरीदे हैं, वहां चारा या खाद्य की खरीद के लिए उचित ऋण दिया जा सकता है।
- (3) **दुधारू मवेशी:** दुधारू मवेशियों के लिए सावधि ऋण नस्ल, दूध की उपज आदि के आधार पर माना जाएगा, ऋण राशि में आश्रयों की मरम्मत, उपकरण और चारे की खरीद शामिल होगी।
- (4) **बीमा: चक्रवातों** और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्षेत्रों की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए, मवेशियों का बीमा किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में इसी उद्देश्य के लिए स्थापित जोखिम-सह-मृत्यु कोष। दूध देने वाले जानवरों / मवेशियों को पहचान करने के लिए ब्रांड किया जाना चाहिए और साथ ही लाभार्थियों द्वारा उनके पुनर्विक्रय पर सुरक्षा के रूप में काम करना चाहिए।
- (5) **कुक्कुट और सुअर पालन:** कुक्कुट, सुअर पालन और बकरियों के पालन के लिए विभिन्न बैंकों के मानदंडों के अनुसार ऋण पर विचार किया जाएगा।
- (6) **मत्स्य पालन:** जिन उधारकर्ताओं ने अपनी नावें, जाल और अन्य उपकरण खो दिए हैं, उनके मामले में मौजूदा बकाया राशि के भुगतान को योग्यता के आधार पर फिर से निर्धारित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें 3 / 4 साल की ऋण परिपक्वता के साथ नए ऋण दिए जा सकते हैं। मौजूदा उधारकर्ताओं की नावों की मरम्मत के लिए ऋण पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां सब्सिडी उपलब्ध है, ऋण की मात्रा को उस हद तक कम किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में नावों, जालों आदि की लागत के लिए पर्याप्त सब्सिडी उपलब्ध होने की संभावना है, वहां इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार विभाग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रिमों के अनुदान के लिए अन्य मानदंडों और शर्तों



का अनुपालन करने के अलावा, मत्स्य पालन विभाग से सहायता मांगी जा सकती है, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह ऐसे उपाय करेगा जो बैंकों को इस उद्देश्य के लिए वित्तपोषण के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे। जहाँ तक संभव हो, प्राकृतिक आपदाओं सहित सभी जोखिमों सहित नावों का व्यापक रूप से बीमा किया जाना चाहिए।

17. भूमि सुधार

- (1) यह संभव है कि रेत ढलाई से ढकी जमीनों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। आम तौर पर, 3 इंच तक की रेत / गाद जमा को या तो मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा या किसानों द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता के हटा दिया जाएगा। हालांकि, ऋण आवेदन उन मामलों में विचार किया जाएगा जहां तत्काल खेती संभव है और पुनरुद्धार (रेत को हटाना) आवश्यक है। जहाँ कहीं भी खारी ज़मीनों के सुधार के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता हो, वहाँ फसल ऋण के साथ-साथ सुधार की लागत के लिए भी अग्रिम राशि दी जा सकती है; यह राशि फसल ऋण के लिए निर्धारित सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (2) सेरीकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती, सुपारी की खेती आदि जैसी अन्य गतिविधियों के लिए बैंक अपनी मौजूदा योजनाओं के तहत निवेश और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण देंगे और बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। कार्यशील पूंजी वित्त तब तक प्रदान किया जा सकता है जब तक कि बागान से प्राप्त होनेवाली आय ऐसा व्यय करने के लिए पर्याप्त न हो।
- (3) यद्यपि, यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर स्थायी फसल / बागों के पुनरुद्धार / कायाकल्प के लिए अतिरिक्त आवश्यकता आधारित फसल ऋण दिए जाएंगे।
- (4) बीजों और विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में खरीद और आपूर्ति की उचित व्यवस्था से संबंधित समस्या पर प्रत्येक जिले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ चर्चा करनी होगी। इसी प्रकार, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सरकारी स्वामित्व वाले उथले और गहरे ट्यूबवेलों और नदी उत्तोलक (लिफ्ट) सिंचाई प्रणाली की मरम्मत करेगी। मत्स्य पालन



के लिए, राज्य सरकार का मत्स्य पालन विभाग फिंगलिंग प्राप्त करने /और उन्हें बैंक वित्त के साथ टैंक मछली पकड़ने को पुनर्जीवित करने के इच्छुक लोगों को आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा।

- (5) राज्य सरकार को ऐसी योजनाएँ तैयार करने पर विचार करना होगा, जिनके माध्यम से बैंक उक्त प्रयोजन के लिए अग्रिम के रूप में दी गई राशियों हेतु 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (नाबार्ड) की दरों पर पुनर्वित्त प्राप्त कर सकें।

18. कारीगर और स्वरोजगार

- (1) हथकरघा बुनकरों सहित ग्रामीण कारीगरों और स्वरोजगार करने वाले सभी श्रेणियों के लोगों को शेड की मरम्मत, उपकरणों के प्रतिस्थापन और कच्चे माल और भंडार की खरीद के लिए ऋण की आवश्यकता होगी। ऋण की स्वीकृति में, संबंधित राज्य सरकार से उपलब्ध सब्सिडी / सहायता के लिए उचित अनुमति दी जाएगी।
- (2) ऐसे कई कारीगर, व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले लोग हो सकते हैं जिनके पास किसी बैंक के साथ कोई बैंकिंग व्यवस्था या सुविधा नहीं है, लेकिन अब उन्हें पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसी श्रेणियां उन यूसीबी शाखाओं से सहायता के लिए पात्र होंगी जिनके अधिकार क्षेत्रों में वे रहते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं। जहां ऐसा व्यक्ति / पार्टी एक से अधिक बैंकों के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां संबंधित बैंक एक साथ मिलकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे।

19. लघु और सूक्ष्म इकाइयाँ

- (1) ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र के तहत इकाइयों का पुनर्वास, लघु औद्योगिक इकाइयां तथा मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की छोटी इकाइयों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कारखाना भवनों / शेडों और मशीनरी की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए तथा क्षतिग्रस्त पुर्जों को बदलने के लिए सावधि ऋण और कच्चे माल और भंडार की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी को तत्काल प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- (2) जहां कच्चा माल या तैयार माल बह गया है या बर्बाद हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, वहां कार्यशील पूंजी के लिए बैंक की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी और कार्यशील



पूंजी खाता (नकद क्रेडिट या ऋण) नियमबाह्य हो जाएगा। ऐसे मामलों में, बैंक सुरक्षा के मूल्य से अधिक आहरण को सावधि ऋण में परिवर्तित कर देंगे और उधारकर्ता को आगे की कार्यशील पूंजी भी प्रदान करेंगे।

- (3) क्षति और पुनर्वास के लिए आवश्यक समय और उत्पादन और बिक्री को पुनः शुरू करने के आधार पर, इकाई की आय सृजन क्षमता को ध्यान में रखते हुए सावधि ऋण किश्तों को उचित रूप से पुनर्निर्धारित करना होगा। मार्जिन की कमी को माफ करना होगा या यहां तक कि छूट देनी होगी और उधारकर्ता को अपनी भविष्य की नकदी सृजन से धीरे-धीरे मार्जिन बनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। जहां भी राज्य सरकार या किसी एजेंसी ने अनुदान / सब्सिडी / बीज धन प्रदान करने के लिए विशेष योजना बनाई है, वहां ऐसे अनुदान / सब्सिडी / बीज धन की सीमा तक उपयुक्त मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) किसी लघु / सूक्ष्म इकाई को उसके पुनर्वास के लिए ऋण देने से पहले बैंकों के सम्मुख प्राथमिक विचार यह होना चाहिए कि पुनर्वास कार्यक्रम लागू होने के बाद उद्यम की व्यवहार्यता क्या है।

20. नियम और शर्तें

- (1) राहत ऋणों को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें प्रतिभूति, मार्जिन आदि के संबंध में लचीले होंगे। प्रत्यय बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की गारंटी द्वारा कवर किए गए छोटे ऋणों के मामले में, व्यक्तिगत गारंटी पर जोर नहीं दिया जाएगा। किसी भी मामले में, व्यक्तिगत गारंटी के अभाव में ऋण से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

21. प्रतिभूति

- (1) जहां बाढ़ से क्षति या विनाश के कारण बैंक की मौजूदा प्रतिभूति कम हो गई है, वहां अतिरिक्त नई प्रतिभूति के अभाव में सहायता से इनकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रतिभूति का मूल्य (मौजूदा के साथ-साथ नए ऋण से प्राप्त की जाने वाली आस्ति) ऋण राशि से कम है तो भी नया ऋण दिया जा सकता है। नए ऋणों के लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया होगा:



- (i) जहां फसल ऋण (जिसे अब सावधि ऋण में परिवर्तित किया गया है) पहले व्यक्तिगत प्रतिभूति / फसल के दृष्टिबंधक के आधार पर दिया गया था जैसाकि ₹5,000 तक के फसल ऋणों के मामले में होता है और यदि उधारकर्ता परिवर्तित ऋण के लिए प्रतिभूति के तौर पर भूमि का प्रभार / बंधक नहीं दे पाता है, तो उसे केवल इस आधार पर ऋण-परिवर्तन की स्वीधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्रतिभूति के तौर पर भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ है।
- (ii) यदि उधारकर्ता ने पहले से ही भूमि पर बंधक / प्रभार पर सावधि ऋण ले लिया है, तो बैंक को परिवर्तित सावधि ऋण के लिए दूसरे प्रभार से संतृप्त होना चाहिए।
- (iii) बैंकों को रूपांतरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष की गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए।
- (iv) उपकरणों के प्रतिस्थापन, मरम्मत आदि और कारीगरों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को कार्यशील पूंजी वित्त या फसल ऋण के लिए सावधि ऋण के मामले में, सामान्य प्रतिभूति प्राप्त की जा सकती है। जहां मूल स्वत्वाधिकार अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में भूमि को प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है, वहां राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र उन किसानों के वित्तपोषण के लिए स्वीकार किया जा सकता है जिन्होंने अपना स्वत्वाधिकार का प्रमाण खो दिया है, अर्थात्, विलेखों के रूप में, साथ ही पंजीकृत शेयर-क्रॉपर्स (बंटाईदार) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (v) भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक सेवा पर रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, बैंक जिन उधारकर्ताओं को किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि के लिए ₹500 तक के ऋण की आवश्यकता है उन्हें किसी भी प्रकार की सांपाश्विक प्रतिभूति अथवा गारंटी के बिना वित्त प्रदान करेंगे।

22. मार्जिन

- (1) मार्जिन अपेक्षाओं से छूट दी जा सकती है या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान / सब्सिडी को मार्जिन के रूप में माना जा सकता है।

23. ब्याज



- (1) ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार होंगी। तथापि, उनके विवेकाधिकार के क्षेत्रों के भीतर, बैंकों से उधारकर्ताओं की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने और आपदा प्रभावित लोगों को रियायती सहायता प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।
- (2) विभेदक ब्याज दर की योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों को योजना के प्रावधान के अनुसार ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।
- (3) वर्तमान में बकाया राशि के संबंध में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को ब्याज प्रभार की चक्रवृद्धि को भी उचित रूप से स्थगित करना चाहिए।

24. अन्य मामले

- (1) **व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी):** बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए, व्यवसाय व्यवधान और सिस्टम की विफलताओं को कम करने के लिए बीसीपी एक प्रमुख पूर्व-आवश्यकता बन गई है। बीसीपी कार्यनीति के रूप में, बैंक प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में स्थित शाखाओं के लिए वैकल्पिक शाखाओं की पहचान कर सकते हैं। इसलिए बैंक आपदा-उद्धार (डीआर) व्यवस्था के साथ पूर्ण विकसित व्यापक बीसीपी तैयार कर सकते हैं। बैंकों को आपदा-उद्धार साइट कार्यरत रखने, उनका व्यापक रूप से परीक्षण करने और प्राथमिक और द्वितीयक साइटों में डेटा को समक्रमिक (सिंक्रोनाइज़) करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- (2) **ग्राहकों को उनके बैंक खातों तक पहुंच**
 - (i) ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंक शाखाएं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं, बैंक रिज़र्व बैंक की सूचना के अंतर्गत अस्थायी परिसरों से कार्य कर सकती हैं। अस्थायी परिसर को 30 दिनों से आगे जारी रखने के लिए, रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाए। बैंक रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देकर सैटेलाइट कार्यालयों, विस्तार काउंटर्स या मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना करके प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।



- (ii) ग्राहकों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक सावधि जमा जैसे खातों के एक्सेस से संबंधित दंड को माफ करने पर विचार कर सकते हैं
 - (iii) एटीएम के कामकाज को जल्द से जल्द बहाल करने या ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर उचित महत्व दिया जाए। बैंक अपने ग्राहकों को अन्य एटीएम नेटवर्क, मोबाइल एटीएम आदि के एक्सेस की व्यवस्था करने पर विचार कर सकते हैं।
- (3) **मुद्रा प्रबंधन: प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बैंक / शाखाएं,** यदि आवश्यक हो, तो अपने वर्तमान खातों को बनाए रखने वाले अन्य बैंकों या मुद्रा चेस्ट शाखा से संपर्क कर सकते हैं जिससे वह जुड़ी हुई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके ग्राहकों को मुद्रा की आपूर्ति बनी रहे।
- (4) **केवाईसी मानदंड:** प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा नए खाते खोलने की सुविधा के लिए विशेष रूप से सरकार / अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई विभिन्न राहतों का लाभ लेने के लिए, बैंक निम्नलिखित में खाते खोल सकते हैं:
- (i) किसी अन्य खाताधारक से परिचय जिसने पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, या
 - (ii) पहचान के दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, कार्यालय, कंपनी, स्कूल, कॉलेज आदि द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, साथ ही पता दर्शाने वाला दस्तावेज जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड आदि या
 - (iii) दो पड़ोसियों द्वारा परिचय जिनके पास उप-पैरा(ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार दस्तावेज उपलब्ध हैं या
 - (iv) उपरोक्त के अभाव में, बैंक की संतुष्टि के लिए कोई अन्य साक्ष्य।
 - (v) उपरोक्त अनुदेश उन मामलों पर लागू होंगे जहां खाते में शेष राशि 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है या दी गई राहत की राशि (यदि अधिक है) और खाते में कुल जमा राशि 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है या एक वर्ष में दी गई राहत की राशि (यदि अधिक है)।



- (5) **समाशोधन और निपटान प्रणाली:** समाशोधन सेवा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 20 बड़े शहरों में 'ऑन-सिटी बैंक-अप सेंटर' और शेष शहरों के लिए प्रभावकारी कम लागत वाले निपटान सोल्युशन की सलाह दी है। किसी समाशोधन क्षेत्र के बैंक, ऐसी लचीली समाशोधन सेवाएं प्रदान करने के लिए आपस में मिल सकते हैं जहां सामान्य समाशोधन सेवाएं बाधित गई हों। तथापि, इन व्यवस्थाओं के होते हुए, बैंक ग्राहकों की धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च राशि के चेक को डिस्काउंट करने पर भी विचार कर सकते हैं। बैंक ईएफटी, ईसीएस या मेल सेवाओं की फीस पर छूट देने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में धन के अंतर्वाह को सुविधाजनक बनाया जा सके।

25. व्यापार और उद्योग के मामले में दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

- (1) अधिस्थगन पर अनुदेश, अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि, पुनर्चित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक और नए वित्त के संबंध में आस्ति वर्गीकरण कृषि के अलावा उद्योगों और व्यापार के खातों सहित सभी प्रभावित पुनर्चित उधार खातों पर लागू होंगे।

26. दंगों और अशांति के मामले में दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

- (1) जब भी भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को दंगा / अशांति प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने की सलाह देता है, तो उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन बैंकों द्वारा सामान्य तौर पर किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल वास्तविक व्यक्तियों को, जिन्हें राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा दंगों आदि से प्रभावित होने के रूप में पहचाना गया है, पुनर्वास / सहायता प्रदान की जाए।
- (2) प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए, दंगा / अशांति की घटना होने पर, जिला कलेक्टर, यदि आवश्यक हो तो डीसीसी की बैठक बुलाने के लिए अग्रणी बैंक अधिकारी से कह सकते हैं और दंगों / अशांति से प्रभावित क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान की सीमा पर डीसीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि डीसीसी संतुष्ट है कि जीवन और संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है, तो उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, दंगों / अशांति से प्रभावित लोगों तक राहत विस्तारित करें। कुछ केंद्रों में जहां कोई डीसीसी नहीं



है, वहां जिला कलेक्टर प्रभावित व्यक्तियों को राहत विस्तार करने पर विचार करने के लिए बैंकों की बैठक बुलाने के लिए राज्य के एसएलबीसी के संयोजक से अनुरोध करें। कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और डीसीसी / एसएलबीसी का निर्णय रिकॉर्ड करें और यह बैठक के कार्यवृत्त का एक हिस्सा होगा। बैठक की कार्यवाही की एक प्रति रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएँ।

- (3) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल वास्तविक व्यक्तियों को राज्य प्रशासन द्वारा विधिवत पहचाना गया है, जो दंगों / अशांति से प्रभावित हुए हैं, उन्हें सहायता प्रदान की जाए।



अनुलग्नक - II

मॉडल परिचालन प्रक्रिया (सरकारी ऋण राहत योजनाएं)

कवरेज और अर्थ

1. मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) के प्रयोजन के लिए, ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं को संदर्भित करती हैं जिनमें उधारकर्ताओं के लक्षित खंड के ऋण दायित्वों को कवर करने के लिए वित्तीय अधिकारियों द्वारा वित्त पोषण शामिल है जिसे विनियमित संस्थाओं को त्याग / छूट देने की आवश्यकता होती है।
2. ऐसी किसी भी डीआरएस की घोषणा / अधिसूचना में इस प्रकार के समर्थन की घोषणा करने की आवश्यकता वाली विशिष्ट तनाव या संकट की स्थिति शामिल होनी चाहिए। क्रेडिट संस्कृति के लिए इस तरह के डीआरएस के व्यापक निहितार्थ को देखते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में स्पष्ट राजकोषीय समर्थन के माध्यम से व्यापक आधार वाले राहत उपायों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है जब वित्तीय तनाव को कम करने के अन्य उपाय विफल हो गए हों और डीआरएस को केवल अंतिम उपाय के रूप में माना गया हो।

अधिसूचना-पूर्व परामर्श

3. किसी भी डीआरएस की घोषणा करने से पहले, सरकारें डीआरएस की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए समन्वित कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के साथ जुड़ सकती हैं। इन योजनाओं में उधारकर्ताओं की



पहचान, प्रभाव का आकलन, कार्यान्वयन समय-सीमा, उधारदाताओं को सरकार द्वारा देय राशि के निपटान से संबंधित मुद्दों का समाधान आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

4. डिजाइन विशेषताओं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डीआरएस क्षेत्र / राज्य के वित्तीय स्थिरता पहलुओं को प्रभावित न करे या उधारकर्ता सेगमेंट में नैतिक संकट उत्पन्न न हो। क्रेडिट निपटान पर प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

योजना का वित्तपोषण

5. आवश्यक निपटान राशि को पूरी तरह से कवर करने के लिए किसी भी प्रस्तावित डीआरएस के लिए विस्तृत बजटीय प्रावधान / निधियन अग्रिम रूप से प्रदान किया जा सकता है। जहां विनियमित संस्थाओं की सरकार के पास बकाया राशि है जो कि पहले की डीआरएस योजनाओं से संबंधित है तो नई योजनाओं की घोषणा केवल पूर्णता: पूर्व-वित्त पोषित आधार पर की जानी चाहिए।

योजना का डिजाइन

6. डीआरएस केवल प्रभावित उधारकर्ताओं पर लक्षित होना चाहिए और इसमें समय पर पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंधात्मक वचन-पत्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, इसमें वस्तुनिष्ठ आधार पर पात्र उधारकर्ताओं का निर्धारण करने के लिए मानदंड, सरकार की ओर से धन के निपटान में देरी के क्षतिपूर्ति खंडों के साथ-साथ दावा दाखिल करने / जमा करने की कट-ऑफ तिथियों सहित गंभीर/महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत समय-सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।



7. डीआरएस को सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं से धन प्राप्त करने की तारीख तक मूलधन और संचित ब्याज सहित कवर किए जा रहे उधारकर्ताओं की पूरी बकाया राशि शामिल करना चाहिए ।
8. डीआरएस को विनियमित इकाई की बहियों में सरकार से प्राप्य राशि के सृजन आवश्यकता नहीं है । विनियमित संस्थाओं का उधारकर्ता के प्रति एक्सपोजर जारी रहेगा और सरकार से प्राप्त निधि की सीमा तक कम हो जाएगा।
9. योजना का संपूर्ण कार्यान्वयन और विनियमित संस्थाओं के प्रति सरकारों द्वारा दावों का निपटान आम तौर पर 45 से 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
10. डीआरएस में रिज़र्व बैंक / नाबार्ड द्वारा जारी किसी भी विनियामक निदेश के विपरीत कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।
11. डीआरएस के डिजाइन में कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए जो विनियमित संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दायित्व डालता है जिसमें सम्मिलित है :

ए. उधारकर्ता से अपने देय राशि की/का आंशिक या संपूर्ण छूट / त्याग;

बी. उन उधारकर्ताओं को नया ऋण प्रदान करें जिनका ऋण माफ 1कर दिया गया है;

सी. भविष्य में बजटीय समर्थन की प्रत्याशा में कोई प्रतिबद्धता न करें;

डी. उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए, सरकार से धन की प्राप्ति लंबित होने पर, उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपाय का अनुसरण करना बंद करें।



तथापि, यदि विनियमित संस्थाएं डीआरएस के डिजाइन के दौरान या उसके बाद में, अपने बोर्ड की अनुमोदित नीतियों के अनुसार उपरोक्त में से किसी पर सहमत होती हैं, तो वह लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन होगा।